उत्तराखण्ड़ शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग – 2
संख्या 1234 /XIII(2)/2014-14(12)/2013
देहरादून : दिनांक :01, जनवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल ''उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958'' की धारा 2'क' सपठित धारा 28 और 29 के अधीन ''उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी गढ़वाल)'' के संचालन हेतु निम्नवत् विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

''उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2014''

1. संक्षिप्त नाम एवं शीर्षक–

(1.) इस परिनियमावली का संक्षिप्त नाम एवं शीर्षक ''उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2014'' है।

(2.) यह परिनियम राजपत्र में अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(एक) 'शैक्षिक क्रिया कलाप' से विश्वविद्यालय के शिक्षण, शोध, प्रसार अभिप्रेत हैं।

(दो) 'अधिनियम' से 'उत्तरप्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, 1958' (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत एवं समय–समय पर यथा संशोधित) अभिप्रेत है।

(तीन) 'अध्यक्ष' से विश्वविद्यालय के अधिनियम अथवा परिनियमों के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष और केन्द्र अथवा प्रभाग अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(चार) 'कुलाधिपति', 'कुलपति', 'कुलसचिव' और 'वित्त नियंत्रक' से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/राज्यपाल, कुलपति, कुलसचिव और वित्त नियंत्रक अभिप्रेत है;

(पॉच) 'मुख्य छात्रावास अधीक्षक', 'छात्रावास अधीक्षक', और 'सहायक छात्रावास अधीक्षक' से क्रमशः विश्वविद्यालय के छात्रावासों के मुख्य छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक और सहायक छात्रावास अधीक्षक अभिप्रेत है;

(छः) 'संकायाध्यक्ष/कॉलेज अधिष्ठाता' से विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता अभिप्रेत है;

(सात) निदेशक, शैक्षणिक/शोध/प्रसार/अन्य से उस विभाग का निदेशक अभिप्रेत है;

(आठ) 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए आवास अभिप्रेत है;

(नौ) विश्वविद्यालय के 'अधिकारी', 'प्राधिकारी', 'प्रबन्ध परिषद', 'शैक्षणिक परिषद' और 'संकाय/कॉलेज/विभाग/प्रभाग/अनुभाग' से क्रमशः विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राधिकारी, प्रबन्ध परिषद, शैक्षणिक परिषद और संकाय/कॉलेज/विभाग/प्रभाग/अनुभाग अभिप्रेत हैं,

(दस) 'विहित' से अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों ओर विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ग्यारह) 'अधिष्ठाता/प्राध्यापक', 'सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक' से विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप नियुक्त प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक अभिप्रेत है;

(बारह) 'संकाय/कॉलेज बोर्ड ऑफ स्टडीज से संकाय/ कॉलेज बोर्ड ऑफ स्टडीज अभिप्रेत है;

(तेरह) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक व उच्चतर स्तर के कार्मिकों के संदर्भ में प्रबंध परिषद तथा सहायक प्राध्यापक से निम्नतर स्तर के कार्मिकों के संदर्भ में कुलपति अभिप्रेत है;

(चौदह) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(पन्द्रह) 'विश्वविद्यालय' से उक्त अधिनियम के अधीन गठित उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी गढ़वाल) अभिप्रेत है;

(सोलह) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956' के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

(सत्रह) 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, यथाः–

(1) प्रबन्ध परिषद;
(2) शैक्षणिक परिषद;
(3) शोध परिषद;
(4) प्रसार परिषद/प्रसार शिक्षा परिषद;
(5) संकाय/महाविद्यालय की पाठ्य समितियां;
(6) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय, जो परिनियमों के अधीन प्राधिकारी घोषित किये जाएं;

प्रबन्ध परिषद् का गठन, कार्य एवं दायित्व

3.(1)(क) प्रबन्ध परिषद् – प्रबन्ध परिषद् का गठन अधिनियम की धारा 10 के अनुसार किया जायेगा। प्रबंध परिषद के सदस्य निम्नवत् होंगे :–

पदेन सदस्य

(एक) कुलपति – अध्यक्ष
(दो) राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि एवं कृषि शिक्षा या उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर का अधिकारी – सदस्य
(तीन) राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, या उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर का अधिकारी – सदस्य
(चार) राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव, वानिकी या उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर का अधिकारी – सदस्य
(पॉच) निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड – सदस्य
(छः) निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड – सदस्य
(सात) विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक – सदस्य
(आठ) कुलसचिव – सदस्य सचिव;

अन्य सदस्य

(नौ) उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा चयनित विधानसभा के दो सदस्य;
(दस) राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् पांच (05) सदस्य नामित किये जाएंगे :–
(1) राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रख्यात कृषि/औद्यानिकी/वानिकी वैज्ञानिक;
(2) राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रगतिशील कृषक;

(3) राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रख्यात पादप–प्रजनन वैज्ञानिक;
(4) राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रख्यात कृषि–उद्योगपति;
(5) सरकार द्वारा नामित ग्रामीण विकास की पृष्ठभूमि वाली एक विख्यात महिला समाजिक कार्यकर्त्ता;

(ग्यारह) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नामित परिषद का एक प्रतिनिधि;

(बारह) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक निदेशक तथा एक अधिष्ठाता;

(तेरह) विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत पूर्व छात्र सभा द्वारा चयनित एक पूर्व छात्र;

3. (1) (ख) प्रबन्ध परिषद् : कृत्य एवं शक्तियां

(एक) प्रबन्ध परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यपालक निकाय होगी, विश्वविद्यालय की संपत्तियों, गतिविधियों का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करेगी तथा उक्त से सम्बन्धित सामान्य निर्देश देगी।

(दो) प्रबन्ध परिषद् राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय को स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति के अन्तरण के लिए अधिकृत कर सकेगी है।

(तीन) प्रबन्ध परिषद् विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर का चयन/अनुमोदन करेगी।

उपरोक्त के साथ प्रबन्ध परिषद् निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन करेगी :–

(चार) विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बजट का अनुमोदन;

(पॉच) विश्वविद्यालय की संपत्तियों और निधियों का रखरखाव, नियंत्रण और इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से सामान्य निर्देश देना;

(छः) विश्वविद्यालय की ओर से किसी संपत्ति को स्वीकार करना या उसका हस्तांतरण करना;

(सात) विश्वविद्यालय के विवेकाधीन/निर्वतन पर रखी गई निधियों को विशिष्ट उद्देश्य से प्रबंधन करना;

(आठ) विश्वविद्यालय की निधियों के निवेश की व्यवस्था करना;

(नौ) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से पूंजी निवेश हेतु धन उधार लेना और उसकी चुकौती हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना;

(दस) विश्वविद्यालय की ओर से न्यासों, वसीयतों और दान को स्वीकार करना;

(ग्यारह) जहां आवश्यक हो, वहां शैक्षणिक, शोध और प्रसार परिषदों की संस्तुतियों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना;

(बारह) ऐसी परिषदों, समितियों और निकायों की नियुक्तियां करना, जिन्हें वह आवश्यक समझे तथा इस अधिनियम के उपबंधों और परिनियमों के अनुसार उनको सौंपे जाने वाले कार्य तय करना;

(तैरह) शैक्षणिक परिषद्, शोध परिषद् या प्रसार परिषद् की संस्तुतियों पर महाविद्यालय, विभाग, केन्द्र या शोध केन्द्र/उप–केन्द्र की स्थापना, समामेलन, उत्सादन पर विचार करना और अनुमोदन करना;

(चौदह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शिक्षण, शोध और प्रसार शिक्षा के पद सृजित करना;

(पन्द्रह) अधिकारियों, शिक्षकों और सहायक प्रोफेसर स्तर के तथा उससे उच्चतर श्रेणी के पद के कर्मचारियों की नियुक्ति (सीधी भर्ती) के लिये निर्धारित तरीके से चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन करना।

3. (1) (ग) प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल एवं गणपूर्ति :

(एक) प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा परन्तु, यह कि पदेन सदस्य की सदस्यता अधिवर्षता या पद त्याग देने पर, जिससे वह परिषद् का सदस्य बना है, से समाप्त हो जाएगी।

(दो) प्रबन्ध परिषद् की बैठक में गणपूर्ति विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुरूप होगी।

(तीन) प्रबन्ध परिषद् द्वारा पारित कोई निर्णय मात्र इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि परिषद् का गठन दोषपूर्ण है या परिषद् में कोई सदस्य रिक्तता है।

3.(2)(क) शैक्षणिक परिषद् : अधिनियम की धारा 8(ख)(दो) तथा परिनियमावली के परिनियम 3(1)(ख)(तेरह) के अन्तर्गत शैक्षणिक परिषद् का गठन किया जाएगा।

(1) शैक्षणिक परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(एक) कुलपति – अध्यक्ष;

(दो) शोध और प्रसार के निदेशक – सदस्य

(तीन) सभी अधिष्ठाता – सदस्य

(चार) चक्रानुक्रम आधार पर प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामित दो विभागाध्यक्ष – सदस्य

(पॉच) चक्रानुक्रम आधार पर प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामित प्राध्यापक स्तर का एक शिक्षक – सदस्य

(छः) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक प्रसिद्ध कृषि/औद्योगिकी/वानिकी शिक्षाविद् – सदस्य

(सात) निदेशक शैक्षणिक/आवासीय अनुदेश – सदस्य

(आठ) कुलसचिव – सदस्य सचिव;

(नौ) नियंत्रक और विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष गैरसदस्य आमंत्री होंगे;

(2) शैक्षणिक परिषद्, औद्यानिकी/वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न प्रभागों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से निर्धारित अवधि के लिए, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है, अधिकतम दो शिक्षकों/वैज्ञानिकों को नामित कर सकती है।

(3) शैक्षणिक परिषद् की बैठक में गणपूर्ति हेतु एक तिहाई सदस्य आवश्यक होंगे, परन्तु यदि गणपूर्ति के अभाव में परिषद् की बैठक स्थगित हो जाती है तो उसी उद्देश्य हेतु बुलाई गई अगली बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(4) सामान्यतः शैक्षणिक परिषद् की बैठक प्रत्येक षटमास (सेमेस्टर) में एक बार कुलपति द्वारा तय तिथि पर होगी, तथापि, आपवादिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में कुलपति द्वारा विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

3.(2)(ख) शैक्षणिक परिषद् की शक्ति एवं कृत्य

(एक) शैक्षणिक परिषद्, विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधानों के अधीन शैक्षिक पाठ्यक्रमों एवं विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों को नियंत्रित करेगी तथा शैक्षिक मानकों के प्रति उत्तरदायी होगी।

(दो) शैक्षणिक परिषद् शिक्षा संबंधी मामलों में विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत नियंत्रण व विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर संशोधन कर सकेगी।

(तीन) शैक्षणिक परिषद, विश्वविद्यालय के शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों से सम्बन्धित निदेशकों/अधिकारियों/शिक्षकों/वैज्ञानिकों आदि की सीधी भर्ती हेतु आवश्यक तथा अधिमानी अर्हताओं का अनुमोदन करेगी। कुलपति द्वारा गठित समिति UGC, ICAR, ICFRE आदि द्वारा जारी राष्ट्रीय मानकों /दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवश्यक तथा अधिमानी अर्हतायें तैयार कर शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदनोपरांत अर्हताएं लागू की जायेंगी।

(चार) शैक्षणिक परिषद् विशिष्ट रूप से निम्न शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी–

(क) शिक्षा संबंधी सभी मामलों में कुलपति/प्रबन्ध परिषद् को सुझाव दे सकती है।

(ख) प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों के साथ–साथ शिक्षा, शोध एवं प्रसार के कार्यों की संस्तुति कर सकती है।

(ग) एडजंक्ट प्रोफेसरशिप हेतु अनुशंसा कर सकती है।

(घ) संकाय एवं महाविद्यालय की स्थापना, एकीकरण तथा निष्क्रमण के लिए अनुशंसा कर सकती है।

(ड) विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या एवं प्रवेश से सम्बन्धित नियम बना/लागू कर सकती है।

(छः) विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों को संस्थित किए जाने के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण तैयार कर सकती है।

(पॉच) शैक्षणिक परिषद् प्रश्नपत्रों के निर्धारकों, अनुसीमकों और अन्य लोगों को संदाय किये जाने वाला मानदेय और परीक्षाओं का सामान्य संचालन/मंत्रणा तथा अन्य ऐसे विषयों के लिए ली गयी सेवाओं के सम्बन्ध में निर्णय ले सकती है। शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय में आयोजित परिक्षाओं के सुगम संचालन एवं शिक्षा मानकों की गुणवत्ता के लिए नियम बना सकती है।

(छः) शैक्षणिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद को मानद उपाधि/डिग्री के वितरण के सम्बन्ध में संस्तुति कर सकेगी।

(सात) शैक्षणिक परिषद् अपने विशिष्ट शैक्षणिक कार्यों हेतु समितियों/उप–समितियों का गठन कर सकती है।

(आठ) शैक्षणिक परिषद किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित की गई कोई डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, पुरस्कार, मानद या विशिष्टताएं प्रत्याहरित करने का निर्णय ले सकती है, यदि इसके लिए पर्याप्त कारण हों।

(नौ) शैक्षणिक परिषद् को अन्य वह सभी शैक्षणिक क्षेत्र की शक्तियां होंगी या वे सभी ऐसे शैक्षणिक कृत्य करेगी, जो कि विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कुलपति अथवा प्रबन्ध परिषद् द्वारा दिये गये हों।

3.(3)(क) शोध परिषद् : अधिनियम की धारा 8(ख)(चार) तथा परिनियमावली के परिनियम 3(1)(ख)(तेरह) के अन्तर्गत शोध परिषद् का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : –

(एक) कुलपति – अध्यक्ष;

(दो) राज्य सरकार के कृषि निदेशक, उद्यान निदेशक, मुख्य वन संरक्षक तथा विश्वविद्यालय के शोध अधिदेश और कार्यक्रमों पर निर्भर करते हुए राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी – सदस्य

(तीन) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक निदेशक – सदस्य

(चार) विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशक – सदस्य

(पॉच) विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाता – सदस्य

(छः) शोध परिषद्, औद्यानिकी/वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न प्रभागों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से निर्धारित अवधि के लिये, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है, अधिकतम चार व्यक्तियों, जिनमें दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और दो प्रगतिशील कृषक हों, सदस्य के रूप में नामित कर सकती है;

(सात) विश्वविद्यालय के शोध निदेशक — सदस्य सचिव;

(आठ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव और वित्त नियंत्रक गैर सदस्य आमंत्री होंगे।

3.(3)(ख) शोध परिषद् के कार्य/दायित्व

शोध परिषद् निम्नलिखित के संबंध में विचार और संस्तुतियां करेगी :–

(एक) औद्यानिकी, वानिकी और संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये या लिये जाने वाले शोध कार्यक्रम और शोध परियोजनाएं तथा उनका प्राथमिकीकरण, अनुवीक्षण और मूल्यांकन;

(दो) शोध परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भौतिक, राजकोषीय और प्रशासनिक सुविधाएं;

(तीन) कृषकों और स्टेक होल्डर्स की आवश्यकताओं के दृष्टिगत शोध करना;

(चार) शोध में सार्वजनिक–निजी सहभागिता;

(पॉच) शोध कार्यक्रमों से संबंधित कोई अन्य मामला, जो कुलपति या प्रबन्ध परिषद या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संदर्भित किया जाए।

3. (4) (क) प्रसार परिषद्/प्रसार शिक्षा परिषद्: अधिनियम की धारा 8(ख)(चार) तथा परिनियमावली के परिनियम 3(1)(ख)(तेरह) के अन्तर्गत इस परिषद् का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : –

(एक) कुलपति – अध्यक्ष;

(दो) सरकार के कृषि, उद्यान, पशुपालन/मत्स्य, ग्राम्य विकास, वन विभाग एवं सम्बन्धित विभागों के निदेशक या उनके द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य

(तीन) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक निदेशक/शोध निदेशक– सदस्य

(चार) विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाता– सदस्य

(पॉच) विश्वविद्यालय के सभी केन्द्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रमुख– सदस्य

(छः) निर्धारित अवधि के लिये, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है, विश्वविद्यालय के बाहर से प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के कुलपति द्वारा नामित दो प्रमुख व्यक्ति – सदस्य

(सात) निर्धारित अवधि के लिये, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है, कुलपति द्वारा नामित दो प्रगतिशील कृषक – सदस्य

(आठ) कुलपति, कृषि से संबंधित गैर–सरकारी संगठनों से अधिकतम दो सदस्यों को निर्धारित अवधि के लिये, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है, नामित कर सकता है – सदस्य

(नौ) कुलपति द्वारा नामित शिक्षक/वैज्ञानिक – सदस्य सचिव।

3. (4) (ख) प्रसार परिषद/प्रसार शिक्षा परिषद् के कार्य

प्रसार परिषद् निम्नलिखित के संबंध में विचार और संस्तुतियां करेगी :–

(एक) विश्वविद्यालय की प्रसार शिक्षा/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम और प्रसार परियोजनाएं;

(दो) कृषि विज्ञान केन्द्र और प्रसार केन्द्र सहित विभिन्न यूनिटों/इकाइयों द्वारा आरम्भ की गई विश्वविद्यालय की प्रसार शिक्षा गतिविधियों का समन्वय;
(तीन) कृषक प्रशिक्षण और सलाहकारी सेवाओं का विकास;
(चार) विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों और विस्तार परियोजनाओं का अनुवीक्षण और मूल्यांकन;
(पॉच) विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्रियाकलापों का समन्वय;
(छः) कुलपति, प्रबंध परिषद या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामले;

3.(5)(क) संकाय/महाविद्यालय की पाठ्य समितियां

(1.) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में पाठ्य समितियां होंगी जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–
(एक) संकाय अधिष्ठाता – अध्यक्ष;
(दो) संकाय के संघटक महाविद्यालयों के अधिष्ठाता – सदस्य
(तीन) संबंधित संकाय के सभी विभागाध्यक्ष – सदस्य
(चार) संकाय अधिष्ठाता द्वारा नामित, प्रत्येक विभाग से एक वरिष्ठ संकाय सदस्य – सदस्य
(पॉच) एक वरिष्ठ विभागाध्यक्ष – सदस्य सचिव;

(2.) प्रत्येक संकाय पाठ्य समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:–
(एक) शिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा और उसमें सुधार के सुझाव देना;
(दो) पाठ्यक्रम समिति या विभाग संकाय के निकाय की संस्तुतियों पर विचार करना और उसे अनुमोदन हेतु शैक्षणिक परिषद् को प्रस्तुत करना;
(तीन) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जो उसे शैक्षणिक परिषद् या कुलपति द्वारा सौंपे जायें।

3.(5)(ख) महाविद्यालय पाठ्य समिति

(1) विश्वविद्यालय का/के संघटक महाविद्यालय होगा/होंगे।

(2) प्रत्येक महाविद्यालय में पाठ्य समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : –
(एक) महाविद्यालय अधिष्ठाता – अध्यक्ष;
(दो) महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष–सदस्य
(तीन) संकाय अधिष्ठाता द्वारा नामित, संबंधित संकाय का एक वरिष्ठ सदस्य।
एक वरिष्ठ विभागाध्यक्ष सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) महाविद्यालय पाठ्य समिति के कार्य:–
(एक) शिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा और उसमें सुधार के सुझाव देना;
(दो) विभागों के पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों पर विचार करना और संकाय पाठ्य समिति को प्रस्तुत करना;
(तीन) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जो उसे संकाय परिषद् या कुलपति द्वारा सौंपे जायें।

4. (एक) विश्वविद्यालय के अधिकारी– विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नवत् होंगे–
(क) कुलाधिपति (प्रदेश के राज्यपाल)
(ख) कुलपति (अधिनियम के अनुसार नियुक्त)
(ग) निदेशक (शैक्षणिक/शोध/प्रसार/अन्य)
(घ) संकायाध्यक्ष/कॉलेज अधिष्ठाता
(च) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

(छ) कुलसचिव

(ज) वित्त नियंत्रक (अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त)

4. (दो) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी निम्नवत् होंगे –

(क) पुस्तकालयाध्यक्ष

(ख) परिसम्पत्ति अधिकारी

(ग) अन्य अधिकारी, जैसा कुलपति/प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्राविधानित किया जाय।

4. (तीन)

(क) कुलाधिपति : प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वे पदेन रूप से विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और जब वह उपस्थित होंगे तो विश्वविद्यालय के उपवेशन के पीठासीन होंगे। कुलाधिपति को वे समस्त शक्तियां होगी, जो उन्हें अधिनियम व परिनियम के द्वारा प्रदत्त की जाएं।

(ख)(a) कुलपति

(एक)(अ) कुलपति विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे।

(ब) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। नियुक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। प्रबन्ध परिषद/प्राधिकरणों के विधिवत् गठन होने तक प्रथम कुलपति विश्वविद्यालय की स्थापना, विकास/संचालन संबंधी कार्यों का स्वविवेक से निष्पादन करेंगे।

(दो) कुलपति का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाय और वह ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जैसे विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य होंगे। उक्त परिनियमावली के प्रख्यापन की तिथि को कुलपति का वेतन बैण्ड ₹ 75,000/– नियत एवं ₹ 5,000/– विशेष वेतन भत्ता निर्धारित है।;

परन्तु यह कि कुलपति की सेवाओं की शर्तों एवं निबंधनों में उनकी कार्यावधि में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

परन्तु यदि किसी मामले में कुलपति पेंशनधारी हो या पेंशन पाने के लिए अर्ह हो तो उनकी परिलब्धियां राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाऐंगी।

(तीन) कुलपति को साज–सज्जायुक्त आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका रखरखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(चार) कुलपति को अनुमन्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते ऐसे होंगे, जैसे प्रबन्ध परिषद् द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अवधारित किये जाएं। वह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर बाह्य चिकित्सकीय सहायता के लिए संदर्भित किए जाने पर उत्तराखण्ड सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर यथा संशोधित शर्तों और दरों पर चिकित्सा मूल्य के समतुल्य प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(पाँच) कुलपति को विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनुमन्य अवकाश के अनुरूप अवकाश अनुमन्य होंगे।

(छः) यदि कुलपति तीन माह से कम की अवधि के लिए किसी भी कारणवश अवकाश पर हो तो वह विश्वविद्यालय के संकाय/महाविद्यालय में से योग्य वरिष्ठतम सदस्य अथवा संकायाध्यक्ष (अधिष्ठाता) को कुलपति के पद पर नियुक्त करेंगे।

(सात) यदि किसी मामले में कुलपति ने तीन माह से अधिक अवकाश या उनके अवकाश की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी कारण से कार्यभार ग्रहण नहीं किया हो, या ऐसी रिक्ति, जिसे शीघ्रता से नहीं भरा जा सकता हो, तो कुलाधिपति छः माह की अवधि या कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक, इसमें जो भी कम हो, के लिए विश्वविद्यालय में वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष/अधिष्ठाता/निदेशक को कार्यवाहक कुलपति नियुक्त कर सकते हैं। कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति की अवधि को विस्तारित कर सकते हैं, परन्तु ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. (ख)(b) कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य/दायित्व

(एक) कुलपति, विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक और शैक्षिक अधिकारी होंगे और सम्पूर्ण शैक्षिक व व्यवसायिक गतिविधियों, अनुशासन और दक्षता की प्रगति के लिए उत्तरदायी होंगे।

(दो) कुलपति, विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् और शैक्षणिक (विद्वत) परिषद की बैठकें अध्यक्ष के रूप में आहूत करेंगे।

(तीन) कुलपति, विश्वविद्यालय में कुलाधिपति की अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(चार) कुलपति, प्रबन्ध परिषद् में विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा आय–व्ययक का लेखा विवरण वित्त नियंत्रक के माध्यम से प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(पॉच) आपात स्थिति में, तुरन्त अपेक्षित कारवाई के लिए कुलपति अपनी ओर से ऐसी कारवाई जैसा आवश्यक हो, कर सकेंगे और वह प्राधिकारी/प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाई किए जाने की प्रत्याशा में निर्णय ले सकेंगे।

(छः) कुलपति, नियुक्तियों, निलम्बन, पदच्युति या संकाय/महाविद्यालय/निदेशालय अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनके लिए प्रबंध परिषद् नियुक्ति प्राधिकारी हैं, के संबंध में प्रबन्ध परिषद् के निर्देशों को प्रभावी करेंगे।

(सात) कुलपति विश्वविद्यालय में सहायक प्रध्यापक, सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक तथा समकक्ष वैज्ञानिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन समितियों में विषयवस्तु विशेषज्ञों का पैनल तैयार कर कुलाधिपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे। स्वीकृत पैनल 03वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।

(आठ) विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक स्तर से नीचे के सभी पदों की नियुक्ति हेतु कुलपति द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी। सहायक प्राध्यापक स्तर से नीचे के पदों पर सीधी भर्ती उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित ''उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008'' का अनुसरण करते हुए की जाएगी। जबकि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर चयन अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियमानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में चयन कर किया जाएगा। चयन समिति अपनी संस्तुतियां अनुमोदनार्थ कुलपति को प्रस्तुत करेगी। कुलपति के अनुमोदनोपरांत नियुक्तियां की जा सकेंगी। उक्तानुसार नियुक्तियों का ब्यौरा प्रबन्ध परिषद् की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(नौ) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे, जैसा कि विहित किया जाए।

(दस) कुलसचिव की रिक्ति/नियुक्ति न होने की स्थिति में, कुलपति किसी अधिकारी को कुलसचिव के कर्तव्यों के निर्वहन का प्रभार दे सकता है।

(ग्यारह) कुलपति द्वारा अवैतनिक/अभ्यागत प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अभ्यागत विद्वान या प्रतिष्ठित प्राध्यापक नियुक्त किये जा सकेंगे।

(बारह)कुलपति, संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता की संस्तुति पर, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियत समय के लिए शिक्षक नियुक्त कर सकता है।

(तेरह) कुलपति संविदा पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति विहित प्रक्रियानुसार कर सकता है।

(ग)(क) निदेशक, शैक्षणिक :

(एक) निदेशक, शैक्षणिक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा/होगी जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया अधिष्ठाता की नियुक्ति प्रक्रिया के समान ही होगी। निदेशक, शैक्षणिक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(दो) निदेशक, शैक्षणिक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् का सदस्य सचिव होगा/होगी।

(तीन) निदेशक, शैक्षणिक, शैक्षणिक निदेशालय का मुखिया तथा नियंत्रक होगा।

(चार) निदेशक, शैक्षणिक, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना तैयार कर उनका शैक्षणिक परिषद् से अनुमोदन करा कर संचालन सुनिश्चित करेगा/करेगी।

(पॉच) शैक्षणिक परिषद् की संरचना एवं क्रियाकलाप अधिनियम की संबन्धित धारा में दिये गए विवरण के अनुरूप होंगें।

(छः) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की रिर्पोट तैयार करेगा/करेगी।

(सात) निदेशक, शैक्षणिक, विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में सीधे तौर पर कुलपति को उत्तरदायी होगा।

(आठ) निदेशक, शैक्षणिक की नियुक्ति ना हो पाने की स्थिति में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक अथवा सह–प्राध्यापक को निदेशक, शैक्षणिक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकेगा।

(ग)(ख) निदेशक, शोध :

(एक) निदेशक, शोध विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा/होगी जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया अधिष्ठाता की नियुक्ति प्रक्रिया के समान ही होगी। निदेशक शोध का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(दो) निदेशक, शोध, विश्वविद्यालय की शोध/अनुसंधान परिषद् का सदस्य सचिव होगा/होगी।

(तीन) निदेशक, शोध, शोध निदेशालय का मुखिया तथा नियंत्रक होगा।

(चार) निदेशक, शोध विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रमों की योजना तैयार कर उनका शोध परिषद् से अनुमोदन करा कर संचालन सुनिश्चित करेगा।

(पॉच) शोध परिषद् की संरचना एवं क्रियाकलाप अधिनियम की संबन्धित धारा में दिये गए विवरण के अनुरूप होंगे।

(छः) विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रमों की रिर्पोट तैयार करेगा/करेगी तथा विभिन्न प्रकार के शोध जरनल्स् का प्रकाशन सुनिश्चित करेगा/करेगी।

(सात) विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रमों तथा उनकी उपलब्धियों का देश–विदेश में विभिन्न स्तरों पर (सेमिनार, सिमपोसिया आदि) प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगा/करेगी।

(आठ) निदेशक, शोध विश्वविद्यालय के समस्त शोध कार्यक्रमों के प्रति कुलपति को सीधे तौर पर उत्तरदायी होगा।

(नौ) निदेशक, शोध की नियुक्ति न हो पाने की स्थिति में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक अथवा सह–प्राध्यापक को निदेशक, शोध का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकेगा।

(ग)(ग) निदेशक, प्रसारः

(एक) निदेशक, प्रसार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा/होगी जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया अधिष्ठाता की नियुक्ति प्रक्रिया के समान ही होगी। निदेशक, प्रसार का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(दो) निदेशक, प्रसार विश्वविद्यालय की प्रसार परिषद् का सदस्य सचिव होगा।

(तीन) निदेशक, प्रसार प्रसार निदेशालय का मुखिया तथा प्रसार निदेशालय का नियंत्रण करेगा/करेगी।

(चार) निदेशक, प्रसार विश्वविद्यालय के प्रसार कार्यक्रमों की योजना तैयार कर उनका प्रसार परिषद् से अनुमोदन करा कर संचालन सुनिश्चित करेगा।

(पॉच) प्रसार परिषद् की संरचना एवं क्रियाकलाप अधिनियम की संबन्धित धारा में दिये गए विवरण के अनुरूप होंगे।

(छः) निदेशक, प्रसार विश्वविद्यालय के प्रसार कार्यक्रमों की रिर्पोट तैयार करेगा/करेगी तथा विभिन्न प्रकार के प्रसार जरनल्स्/सामग्रियों का प्रकाशन सुनिश्चित करेगा/करेगी।

(सात) निदेशक, प्रसार विश्वविद्यालय के प्रसार कार्यक्रमों तथा उनकी उपलब्धियों का देश–विदेश में विभिन्न स्तरों पर (सेमिनार, सिमपोसिया, किसान मेला, फील्ड प्रदर्शन आदि) प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगा/करेगी।

(आठ) निदेशक, प्रसार विश्वविद्यालय के समस्त प्रसार कार्यक्रमों के प्रति कुलपति को सीधे तौर पर उत्तरदायी होगा।

(नौ) निदेशक, प्रसार की नियुक्ति ना हो पाने की स्थिति में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक अथवा सह–प्राध्यापक को निदेशक, प्रसार का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकेगा।

(घ) संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता

(एक) संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसकी कार्यावधि तीन वर्ष होगी।

(दो) संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता संबंधित संकाय/महाविद्यालय का प्रधान होगा/होगी और कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा/होगी।

परन्तु, यह कि जब संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता का पद रिक्त हो या किसी कारण से वह दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो उसके पद का कार्यभार ऐसे वैज्ञानिक/शिक्षक द्वारा निर्वहन किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाए।

(तीन) संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता :–

(क) संकाय/महाविद्यालय में शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों के संचालन तथा सामान्य आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

(ख) शैक्षणिक कार्यक्रमों और संबंधित संकाय/कॉलेज की नीतियों को बनाएगा।

(ग) संकाय/महाविद्यालय में अपेक्षित शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों के रख–रखाव को सुनिश्चित करेगा/करेगी।

(घ) परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में उपबन्धित प्राविधानों के अधीन अनुशासन और उपयुक्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ङ) संकाय/महाविद्यालय परिषद का अध्यक्ष होगा/होगी।
(च) संकाय/महाविद्यालय में शिक्षण प्रगति का अनुश्रवण और संकाय/महाविद्यालय द्वारा दिए गए पाठ्यक्रमों में छात्रों की उपलब्धि की प्रस्थापना करेगा/करेगी।
(छ) संकाय/महाविद्यालय में शोध गतिविधियों की प्रगति और विभिन्न कालिक शोध कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण करेगा/करेगी।
(ज) संकाय/महाविद्यालय के शिक्षण क्रियाकलापों के नियत क्षेत्र में जानकारी के प्रसार की सुविधा उपलब्ध करायेगा/करायेगी।
(झ) संकाय/महाविद्यालय का बजट तैयार करेगा/करेगी। शिक्षकों के अवकाश, व्यवहारिक बैठकें, सम्मेलन, सेमिनार में शिक्षकों को प्रतिभाग करने हेतु तद्नुसार अनुमति प्रदान करेगा/करेगी।
(ण) समय–समय पर संकाय/महाविद्यालय के शिक्षण और अन्य क्रियाकलापों के बारे में कुलपति को सूचना देगा/देगी।
(त) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और जन सामान्य से सम्पर्क बनाने के लिए मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करेगा/करेगी।
(थ) कुलपति द्वारा समय–समय पर निर्देशित अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा/करेगी।
(द) संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता की नियुक्ति ना हो पाने की स्थिति में कुलपति द्वारा महाविद्यालय के प्राध्यापक अथवा सह–प्राध्यापक को संकायाध्यक्ष/कॉलेज अधिष्ठाता का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकेगा।

(च) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

(एक) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जो प्राध्यापक के समकक्ष होगा। उसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा प्रबंध परिषद के अनुमोदन से की जायेगी। अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिनियम 8 में विहित है। अधिष्ठाता, छात्र कल्याण का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(दो) अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्य एवं शक्तियां

(क) छात्रों के लिए आवासीय एवं भोजन की सेवाओं की व्यवस्था करेगा;
(ख) विश्वविद्यालय में साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रिया–कलापों का आयोजन करेगा;
(ग) विश्वविद्यालय में खेल और अन्य आमोद–प्रमोद के क्रिया–कलापों का आयोजन करेगा;
(घ) छात्रों के लिए परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन करेगा;
(ङ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए संकाय/महाविद्यालय स्तर पर पदस्थापना में सहायता प्रदान करने हेतु आयोजन करेगा;
(च) पूर्ववर्ती छात्र ईकाई के क्रियाकलापों का आयोजन करेगा;
(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;
(ज) विश्वविद्यालय की केन्द्रीय अनुशासन समिति का सदस्य सचिव होगा;
(झ) विश्वविद्यालय में चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करेगा;
(ण) छात्रों को छात्रवृत्ति, अध्ययन वृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता के संवितरण का पर्यवेक्षण करेगा;
(त) छात्रों के लिए यात्रा की व्यवस्था करेगा, और
(थ) छात्रों के कुशलक्षेम एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे कुलपति द्वारा सौंपे जाए।

(द) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की नियमित नियुक्ति ना हो पाने की स्थिति में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक अथवा सह–प्राध्यापक को अधिष्ठाता, छात्र कल्याण का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकेगा।

(छ) कुलसचिवः कर्तव्य

(एक) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा/होगी। कुलसचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिनियम 8 में विहित है।

(दो) कुलसचिव–

(क) विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रवेश, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन तथा छात्रों को परीक्षाफल रिपोर्ट जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

(ख) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा/करेगी।

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री तथा डिप्लोमा की पंजी का रख–रखाव करेगा/करेगी।

(घ) विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों की पंजी का रख–रखाव करेगा/करेगी।

(ड.) संकायाध्यक्षों/महाविद्यालय अधिष्ठाताओं की सहमति से शैक्षिक कलैण्डर तैयार करेगा/करेगी और शैक्षिक विनियमों/अध्यादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएगा/कराएगी।

(च) विश्वविद्यालय की ओर से विधिक मामलों पर कारवाई करेगा।

(छ) प्रबन्ध परिषद् का गैर सदस्य संयुक्त सचिव होगा/होगी।

(तीन) विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा।

(चार) प्रबन्ध परिषद् द्वारा गठित समितियों के अभिलेखों का रख–रखाव और बैठकों हेतु सूचना पत्र जारी करेगा।

(पॉच) प्रबन्ध परिषद के पदीय पत्र–व्यवहार का संचालन करेगा।

(छः) कुलसचिव की नियुक्ति ना हो पाने की स्थिति में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकेगा।

(ज) वित्त नियंत्रक, शक्तियां एवं कृत्य

(एक) वित्त नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वित्त नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 13 में विहित है। उसे पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

(दो) वित्त नियंत्रक, कुलपति द्वारा समय–समय पर सौंपे गए वित्तीय कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। वह सीधे कुलपति के नियंत्रणाधीन होगा।

(तीन)(क) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय का बजट तैयार करेगा/करेगी तथा उसे प्रबन्ध परिषद में प्रस्तुत करेगा/करेगी। वह विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण ओर वितरण भी करेगा।

(ख) लेखा से संबद्ध समस्त वितरणों का रख–रखाव करेगा/करेगी।

(चार) वित्त नियंत्रक प्रबन्ध परिषद का पदेन सदस्य सचिव होगा/होगी। उसे प्रबन्ध परिषद की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन उसे मत डालने का अधिकार नहीं होगा।

(पॉच) वह विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण, सम्पत्ति तथा निवेश का नियोजन करेगा और वित्तीय नीति के विषय में सलाह देगा।

(छः) वित्त नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित बजट से हटकर (विनियोजन से भिन्न) निवेश/व्यय के अतिरिक्त कोई व्यय न हो, जो प्राधिकृत न हो।

(सात) ऐसे प्रस्तावित व्यय को अनुमत नहीं करेगा/करेगी, जो अधिनियमों के उपबन्धों या परिनियम या अध्यादेश की शर्तो के उल्लंघन में हो।

(आठ) यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और सम्परीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगा/करेगी। यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधान संरक्षित और सुप्रबन्धित हों।

(नौ) लेखाओं की नियमित रूप से सम्परीक्षा कराएगा/कराएगी।

(दस) वित्त नियंत्रक की अन्य शक्तियां व कृत्य ऐसे होगे, जो विहित किए जाएं।

4. (दो)

(क) पुस्तकालयाध्यक्ष

पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय के पुस्तकालय प्रभाग का मुखिया होगा। वह पूर्णकालिक अधिकारी होगा/होगी तथा प्राध्यापक के समकक्ष होगा। वह पुस्तकालय में संकायाध्यक्ष तथा महाविद्यालय अधिष्ठाता के द्वारा दी गयी पुस्तकों, जर्नल्स आदि की मांग सूचियों को संकलित कर उनके क्रय हेतु प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के उन्नयन एवं संचालन हेतु कुलपति द्वारा एक समिति बनाई जायेगी जिसके अध्यक्ष स्वयं कुलपति होंगे तथा पुस्तकालयाध्यक्ष सदस्य सचिव होंगे। समिति में संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय अधिष्ठाता तथा शैक्षिक विभागों के अध्यक्ष सदस्य होंगे। पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय सूचना प्रणाली के रख–रखाव व प्रबंधन तथा पुस्तकालय की सभी संघटक यूनिटों को दिशा निर्देश देने और पुस्तकालय क्रियाकलापों के समन्वय हेतु जिम्मेदार होगा।

(ख) परिसम्पत्ति अधिकारी/उप निदेशक निर्माण एवं संयंत्र

परिसम्पत्ति अधिकारी, विश्वविद्यालय के परिसम्पत्ति प्रभाग का मुखिया होगा। वह पूर्णकालिक अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के अभियंत्रण विभागों के अधिशासी अभियन्ता के समकक्ष स्तर का होगा। उक्त पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शैक्षणेत्तर अधिकारियों के अनुरूप होगी। नियमित नियुक्ति होने तक अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार के अभियंत्रण विभागों के सहायक अभियंताओं को उक्त पद पर कुलपति द्वारा राज्य सरकार की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। परिसम्पत्ति अधिकारी विश्वविद्यालय की समस्त चल–अचल सम्पत्तियों (भूमि, भवन, वाहन, संयंत्र) की देख–रेख, अनुरक्षण आदि के लिये जिम्मेदार होगा। परिसम्पत्ति अधिकारी विश्वविद्यालय के परिसरों, शोध एवं प्रसार केन्द्रों आदि में विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था तथा सिंचाई व्यवस्था आदि के अनुरक्षण, संचालन एवं आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

5. **विभाग/प्रभाग का अध्यक्ष**

(एक) विभाग/प्रभाग का अध्यक्ष सामान्यतः प्राध्यापक स्तर का होगा और शिक्षण, शोध और प्रभाग में अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रति उत्तरदायी होगा;

परन्तु, यह कि जहां प्रभाग में कोई प्राध्यापक उपलब्ध न हो, नियमित अध्यक्ष के चयन होने तक प्रभाग के क्रियाकलापों के दायित्वों को वरिष्ठ संकाय सदस्य को सौंपा जा सकता है।

(दो) प्रभाग का अध्यक्ष कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए इस निमित्त गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्त किया जाएगा। विभागाध्यक्ष को अधिकतम तीन वर्ष के दो और कार्यकाल का विस्तार कुलपति द्वारा ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा, जिन्हें संबंधित आदेशों में स्पष्ट अभिलिखित किया जाएगा। प्रत्येक विस्तार हेतु कुलपति द्वारा गठित समिति की संस्तुति आवश्यक होगी।

(तीन) विभाग/प्रभाग का अध्यक्ष, संकाय/कॉलेज के संकायाध्यक्ष (कॉलेज अधिष्ठाता) के प्रति उत्तरदायी होगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा सौंपे जाएं।

6. **मुख्य छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, सहायक छात्रावास अधीक्षक**

विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रावास के लिए एक छात्रावास अधीक्षक होगा/होगी, जो अपेक्षित निवास, खानपान तथा छात्रों के कल्याण की देख–रेख करेगा/करेगी। छात्रावास अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय द्वारा विहित छात्रावास में नियमों का कड़ाई से पालन हो। छात्रावास अधीक्षक, मुख्य छात्रावास अधीक्षक को तथा अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को समय–समय पर छात्रावास से सम्बन्धित मामलों के बारे में रिपोर्ट देगा। मुख्य छात्रावास अधीक्षक सामान्यतः संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता अथवा उनके द्वारा नामित संकाय सदस्य हो सकता है। प्रत्येक छात्रावास के दिन–प्रतिदिन के क्रियाकलापों में सहायता दिए जाने के लिए एक सहायक छात्रावास अधीक्षक संकाय सदस्यों में से नियुक्त किया जा सकता है।

7. **कर्मचारियों की श्रेणियां/वर्गीकरणः** अधिनियम की धारा 28(d) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की श्रेणियां/वर्गीकरण निम्नवत् होंगी : –

(एक) **शैक्षिक कर्मचारी** : संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय अधिष्ठाता, निदेशक शोध, निदेशक प्रसार, शैक्षिक विभाग/प्रभाग/केन्द्र के अध्यक्ष, प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अभ्यागत प्राध्यापक, अभ्यागत विद्वान, अवैतनिक प्राध्यापक, प्रतिष्ठित प्राध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य कोई अधिकारी, जिसे विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् द्वारा शिक्षक वर्ग में पदाभिहित किया जाए।

(दो) **प्रशासनिक कर्मचारी** : वित्त नियंत्रक, कुलसचिव, उप–वित्त नियंत्रक, वित्त अधिकारी, परिसम्पत्ति अधिकारी, जनसम्पर्क अधिकारी, मीडिया अधिकारी, भण्डार और क्रय अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी, कुलपति का निजी सचिव और अन्य कोई अधिकारी, जिसे विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रशासनिक अधिकारी वर्ग में पदाभिहित किया जाए।

(तीन) **अन्य कर्मचारी** : अभियन्ता, कम्प्यूटर सिस्टम मैनेजर, फोरमैन, मैकेनिक, तकनीशियन, प्लम्बर, मैसन, वेल्डर, इलैक्ट्रीशियन, वाहन चालक, खेल अनुदेशक/प्रशिक्षक, फार्मेसिस्ट, नर्स, सशस्त्र सुरक्षाकर्मी, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, कार्यालय सहायक, लैब असिस्टेन्ट, प्रक्षेत्र असिस्टेन्ट, भण्डार सहायक आदि।

(चार) वर्तमान में राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ग्रेड पे ₹ 1800/– तक के सभी कार्मिक समूह 'घ' की श्रेणी में माने जायेंगे। यह संवर्ग मृत संवर्ग घोषित किया जा चुका है। भविष्य में इस श्रेणी में जो बदलाव राज्य सरकार के आदेशों द्वारा किया जाएगा, वह लागू होगा।

8. **(क) नियुक्तियां :**

(एक) विश्वविद्यालय में समस्त नियुक्तियां योग्यता के आधार पर उपरोक्तानुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर ही की जाएंगी, जैसा शैक्षणिक परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा दिशा–निर्देश अवधारित किए गए हों। संकाय के वरिष्ठ पदों की नियुक्तियां विशेष रूप से शिक्षण, शोध, संगठनात्मक/नेतृत्व के गुण योग्यता और व्यवसायिक/सामाजिक विकास के लिए योगदान के आधार पर होगी।

(दो) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हतायें कुलपति द्वारा गठित समिति संस्तुत करेगी जिन्हें शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाएगा।

(तीन) निदेशक, शैक्षणिक/शोध/प्रसार तथा पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता की नियुक्ति प्रक्रिया के अनुरूप होगी।

(चार) विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षणेत्तर पदों का वेतनमान एवं चयन हेतु अनिवार्य, अधिमानी अर्हतायें कुलपति द्वारा गठित समिति राज्य सरकार के मानकों के आधार पर तैयार कर कुलपति को अनुमोदनार्थ संस्तुत करेगी।

(पॉच) कुलसचिव, परिसम्पत्ति अधिकारी तथा परिनियम 4(ii) में दिये गये (क) से (ग) तक के अधिकारियों की नियुक्ति कुलपति द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया अपनाते हुए अथवा अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत नियत समय के लिए की जा सकेगी या अतिरिक्त प्रभार के रूप में उक्त पदों का कार्यभार विश्वविद्यालय के शिक्षक/वैज्ञानिक/अधिकारी को दिया जा सकेगा। प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(छः) अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुरूप दिया जायेगा।

(सात) संकाय में शिक्षकों की समस्त नियुक्तियां इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन की जायेंगी। रिक्तियों के विज्ञापनों का व्यापक प्रसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट/परिपत्रक तथा देश/प्रदेश में व्यापक प्रचार प्रसार वाले दो–दो हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग या वैयक्तिक साक्षात्कार या दोनों, कुलपति द्वारा गठित चयन समिति करेगी। चयन समिति में कुलाधिपति द्वारा नामित विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(आठ) सहायक प्राध्यापक तथा उससे उच्च स्तर के शिक्षकों/वैज्ञानिकों की नियमित नियुक्तियों हेतु गठित चयन समिति के अध्यक्ष कुलपति अथवा उनके द्वारा नामित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक/वैज्ञानिक होंगे। चयन समिति अपनी संस्तुतियां अनुमोदनार्थ प्रबंध परिषद को प्रेषित करेगी। प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनोपरांत नियुक्तियां की जा सकेंगी।

(नौ) चयन समिति उच्च कोटि के शिक्षक/वैज्ञानिक, जो देश/विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हों अथवा जुड़े हों, उनका साक्षात्कार इन्टरनेट या अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यम से भी कर सकती है।

(दस) विश्वविद्यालय में किसी भी श्रेणी के शिक्षक/अधिकारी/कार्मिक की स्थायी नियुक्ति में विलम्ब की संभावना हो तो अधिनियम की धारा 12(6) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष परिस्थितियों में, जहां तत्काल नियुक्ति किया जाना विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की निरंतरता हेतु आवश्यक हो एवं नियमित नियुक्तियों में विलम्ब की सम्भावना हो, कुलपति किसी भी श्रेणी के नितांत आवश्यक पदों पर योग्यता के आधार पर कामचलाऊ/अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्ति कर सकेंगे।
परन्तु जिन पदों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध परिषद है, उसके लिए प्रबंध परिषद का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक स्तर से नीचे के सभी पदों की नियुक्ति हेतु कुलपति द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी। चयन समिति सभी अर्ह अभ्यर्थियो से आवेदन पत्र आमंत्रित कर, चयन कर प्रवीणता के आधार पर नियुक्ति हेतु अपनी संस्तुतियां अनुमोदनार्थ कुलपति को प्रस्तुत करेगी। कुलपति के अनुमोदनोपरांत नियुक्तियां की जा सकेंगी। इस प्रकार की गयी नियुक्तियों का ब्यौरा प्रबन्ध परिषद् की अगली बैठक में पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(बारह) चूंकि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा समूह 'घ' मृत संवर्ग घोषित किया जा चुका है। अतएव समूह 'घ' से लिए जाने वाले समस्त कार्यों को विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम आवश्यकतानुसार वाह्य सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से आउट सोर्सिंग से सम्पादित कराया जाएगा।

(तेरह) चयन समिति की गणपूर्ति 05 सदस्यों से होगी बशर्ते उसमें 02 बाह्य विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हों।

(चौदह) संकाय के पदाभिहित व्यक्तियों की नियुक्तियां कुलपति द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर कुलपति द्वारा की जाएंगी।

(पन्द्रह) यदि किसी संकाय सदस्य को अपने दायित्वों के अतिरिक्त कार्य सौंपें जाएं तो उसे ऐसा कार्यभार ग्रहण करने के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध अन्य व्यक्ति जो उन दायित्वों का निर्वहन करता हो, की सुविधाओं के अतिरिक्त ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उचित समझा जाए।

(सौलह) कुलपति प्रबन्ध परिषद को सूचित करके अभ्यागत संकाय या अभ्यागत प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रूप में विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षणिक कार्य और शोध की प्रगति में सहायता देने के लिए देश या विदेश से अध्ययन के क्षेत्र में उच्च शैक्षणिक एवं विशेष योग्यता से युक्त व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है। दीर्घावधि के लिए अभ्यागत संकाय की नियुक्ति एक से दो वर्ष की अवधि तक के लिए की जा सकती है। अल्पकालिक अभ्यागत संकाय एक वर्ष की अवधि तक के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्त व्यक्ति नियमित कक्षा/कक्षाएं पढ़ाएगा, विशेष व्याख्यानों का आयोजन, कार्यशाला तथा सेमिनार का संचालन करेगा। उसके वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, अन्य शर्तें और निबंधन ऐसे होंगे, जैसे नियुक्त व्यक्ति तथा विश्वविद्यालय के मध्य आपसी सहमति से निश्चित हों।

(सत्रह) प्रबन्ध परिषद् प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा प्रायोजित विन्यास पीठ (चेयर) स्थापित कर सकती है और समुचित रूप से अर्ह व्यक्तियों को चेयरों पर नियुक्त कर सकती है। ऐसी नियुक्ति शर्तें और निबंधन प्रायोजक तथा विश्वविद्यालय की आपसी सहमति से अभिनिश्चित होंगे।

(अट्ठारह) कुलपति प्रबन्ध परिषद् को सूचित करके प्रतिष्ठित विद्वान को, जिसका अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हो, विश्वविद्यालय में अध्ययन/शोध के लिए मानद प्राध्यापक के रूप में नियुक्त कर सकता है। मानद प्राध्यापक की नियुक्ति की अवधि विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जाएगी। मानद प्राध्यापक को उसके कार्य निर्वहन के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई

जाएंगी। मानद प्राध्यापक को कार्य के निर्वहन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन कोई वेतन नहीं दिया जाएगा।

(उन्नीस) प्रबन्ध परिषद् विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक को प्रतिष्ठित प्राध्यापक की उपाधि प्रदान कर सकती है जिसने विश्वविद्यालय में अपनी कार्यवधि के दौरान अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। सम्बन्धित संकाय, शैक्षणिक परिषद और कुलपति के माध्यम से इसके लिए प्रबन्ध परिषद् को संस्तुति कर सकते हैं। प्रतिष्ठित प्राध्यापक को शैक्षिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उपाधि विश्वविद्यालय की ओर से बिना वित्तीय या अन्य बचनबद्धता के आजन्म होगी।

(बीस) कुलपति प्रबन्ध परिषद् को सूचित करके उद्योग तथा अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को एडजंक्ट प्राध्यापक या एडजंक्ट सहायक–प्राध्यापक या अन्य पद पर पदाभिहित कर सकता है। इस प्रकार की नियुक्ति की अवधि अधिकतम् दो वर्ष की होगी तथा विश्वविद्यालय व नियुक्त व्यक्ति के मध्य समझौते की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

8. (ख) सेवानियमावली

(एक) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की सेवा नियमावली कुलपति द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समितियों द्वारा तैयार की जायेगी।

(दो) समितियों द्वारा तैयार की गयी सेवानियमावली प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति के पश्चात लागू होंगी।

(तीन) संगत संवर्गों की सेवा नियमावलियां बनाने के पश्चात् ही संवर्गीय पदों पर स्थायी, अस्थायी या अल्पकालिक भर्ती की जायेगी।

9. (क) सेवा की शर्तें और निबन्धन

(एक) विश्वविद्यालय में समस्त नियुक्तियां एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। तदोपरान्त नियुक्त व्यक्ति की कार्य सम्पादन और आचरण आख्या कुलपति द्वारा संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा नियमित/स्थायी की जा सकेगी। यदि आख्या संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति को अगले एक और वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जा सकता है। यदि दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के बाद भी कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय इस संबंध में संबंधित व्यक्ति को अपनी कार्य प्रणाली एवं आचरण में सुधार लाने के लिए लिखित नोटिस देकर छः माह का और समय दे सकता है। यदि छः माह बाद भी आख्या संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति को सेवामुक्त करने की संस्तुति प्रबन्ध परिषद में प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदनोपरान्त संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकेगा। कार्य सम्पादन और आचरण संतोषजनक पाये जाने पर तथा कुलपति द्वारा अनुमोदनोपरान्त जिनकी सेवाएं नियमित/स्थायी की जाएं, उनका ब्यौरा कुलपति द्वारा प्रबन्ध परिषद की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रेषित किया जाएगा।

(दो) नियुक्त व्यक्ति अधिनियम और परिनियमों के प्राविधानों के अधीन उसकी अधिवर्षता तिथि के माह की अन्तिम तिथि तक लगातार सेवा में रहेगा;

परन्तु यह कि शिक्षण और शोध के हित में शिक्षक की पुनर्नियुक्ति, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक के रूप में शैक्षणिक सत्र के अन्त तक नियमित रूप से की जा सकती है।

(तीन) अल्पकालिक कर्मचारियों को छोड़कर समस्त नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय से विहित प्रारूप में लिखित रूप से अनुबंध निष्पादित करेंगे और विश्वविद्यालय

के चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(चार) विश्वविद्यालय का कर्मचारी कोई अन्य सेवा, व्यापार या गतिविधियां सिवाय परामर्श या ऐसी गतिविधियों में, जिसके लिए सम्यक रूप से समुचित प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो, नहीं कर सकेगा।

(पॉच) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के अस्थायी शिक्षकों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताते हुए एक माह का नोटिस देकर या एक माह का वेतन देते हुए सेवा समाप्त की जा सकती है।

(छः) विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी एवं अन्य सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए आचरण नियमों से नियंत्रित होंगे।

(सात) विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी एवं अन्य सभी नियमित कर्मचारी नियमानुसार दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते पाने के पात्र हकदार होंगे। संविदा अथवा वे कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी नहीं हैं, उनके लिए पृथक से भत्ते आदि कुलपति द्वारा गठित समिति कुलपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी। गठित समिति में विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक सम्मिलित होगा।

(आठ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं सभी नियमित तथा संविदा/ अन्य कर्मियों को विश्वविद्यालय की अवकाश नियमावली में विहित अवकाश अनुमन्य होंगे।

(नौ) विश्वविद्यालय का कोई भी अस्थाई शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी एक माह के नोटिस से या एक माह का वेतन संदाय करके विश्वविद्यालय को छोड़ सकता है।

(दस) कर्मचारियों पर लागू होने वाले चिकित्सा परिचर्या से संबंधित नियम पृथक से बनाए जाएंगे।

9. **(ख) करियर एडवांसमेन्ट स्कीम**

(एक) विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए करियर एडवांसमेन्ट स्कीम को यू.जी.सी./आई.सी.ए.आर. के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रबन्ध परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाएगा।

(दो) विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए Assured Career Promotion (ACP) राज्य सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप लागू होगी।

10. **कर्मचारी (शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही** : इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निहित प्रक्रिया अपनाते हुए निम्नवत् रूप से कार्यवाही की जाएगी :–

(एक) विश्वविद्यालय के हित में किसी कर्मचारी के मामले में, जहां उसने आचरण नियमों का उल्लंघन किया हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कर्मचारी की जांच का निर्धारण, स्पष्टीकरण लेने, अनुशासनिक कार्यवाही करने और उसे चेतावनी देने की कार्यवाही कर सकता है।

(दो) जिन मामलों में कुलपति नियुक्ति प्राधिकारी है, उनमें कुलपति कर्मचारी के विरूद्ध आरोपों की जॉच करा सकता है। प्रथम दृष्ट्या साक्ष्यों के आधार पर कर्मचारी का निलम्बन कर प्रकरण की गहन जॉच करा सकता है। आरोप सिद्ध होने पर कुलपति आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार शास्ति आदेश जारी कर सकता है।

(तीन) जिन मामलों में कुलपति नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, उनमें कुलपति कर्मचारी के विरूद्ध आरोपों की जॉच करवा सकता है। प्रथम दृष्ट्या साक्ष्यों के

आधार पर प्रबंध परिषद के अनुमोदन से कुलपति द्वारा निलम्बन किया जा सकता है। जाँच पूरी कराकर कुलपति जांच आख्या प्रबन्ध परिषद् को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित करेगा।

(चार) यदि प्रबन्ध परिषद् जाँच आख्या से संतुष्ट न हो तो वह दोबारा जाँच करवा सकती है। आरोप सिद्ध होने पर आरोपी कर्मचारी को नियमानुसार शास्ति निर्धारित करते हुए कुलपति को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति कर सकती है। आरोप सिद्ध ना होने की स्थिति में, प्रबन्ध परिषद् निलम्बित कर्मचारी की नियमानुसार बहाली हेतु कुलपति को निर्देशित कर सकती है।

(पाँच) कार्मिक को हटाना या पदच्युति करना इस सम्बन्ध में आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा।

(छः) जिन कार्मिकों के संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकारी कुलपति हैं, उनको प्रदत्त शास्ति के विरूद्ध अपील प्रबंध परिषद के सम्मुख प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर की जा सकेगी। जबकि जिन कार्मिकों के संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध परिषद हैं, उनको प्रदत्त शास्ति के विरूद्ध शासन को प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अपील की जाएगी।

11. सेवानिवृत्ति की आयु

(एक) विश्वविद्यालय के शिक्षकों/वैज्ञानिकों की अधिवर्षता आयु 65वर्ष तथा अन्य कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 60वर्ष या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगी।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय किसी भी कार्मिक को (स्थायी या अस्थायी) 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त बिना किसी कारण बताए विश्वविद्यालय के हित में तीन माह का नोटिस देकर या इस क्रम में तीन माह का वेतन भुगतान कर सेवानिवृत्त कर सकता है। विश्वविद्यालय का कोई कार्मिक 45वर्ष की आयु या विश्वविद्यालय में 20वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त तीन माह के नोटिस पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्राप्त कर सकता है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

(तीन) कर्मचारी, राज्य सरकार के कार्मिकों के समरूप अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त करेगा, परन्तु यदि कोई कार्मिक सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त कर रहा हो, विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है तो विश्वविद्यालय उसके हित में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप संरक्षण दे सकता है।

12. अवकाश नियम

(एक) विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कार्मिकों को छोड़कर, समस्त कार्मिकों पर ये अवकाश नियम लागू होंगे।

(दो) संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता और वित्त नियंत्रक के अवकाश कुलपति द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे। संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता, केन्द्रीय/प्रभागीय और नियंत्रक अधिकारी उनके अधीन कार्यरत कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत करेंगे। कार्मिकों द्वारा जिन तिथियों में अवकाश का उपभोग किया जाएगा, उसका अंकन नियमानुसार पंजिका/सेवाअभिलेखों में किया जाएगा।

(तीन) शिक्षकों को स्वीकृत होने वाले अवकाश स्थायी कार्मिकों को अनुमन्य होंगे। विश्वविद्यालय के कार्मिकों को अनुमन्य होने वाले अवकाश निम्नवत होंगे–

(क) आकस्मिक अवकाश– एक कलैण्डर वर्ष में 14 दिन, जो आगामी कलैण्डर वर्ष में अग्रेनीत नहीं होंगे।

(ख) उपार्जित अवकाश– कार्मिक पूर्ण वेतन पर उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकेंगे, परन्तु ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश लेने वाले शिक्षक मात्र 1/30 दिन का अवकाश उपार्जित करेंगे। उपार्जित अवकाश एक बार में भारत में अधिकतम 04माह की या विदेश में 06माह की अवधि का उपभोग किया जा सकता है। अधिकतम अवकाश की अवधि 300 दिनों तक संचित की जा सकती है। इसके पश्चात् संचित होने वाले उपार्जित अवकाश समाप्त हो जायेंगे।

(ग) अर्द्धऔसत वेतन अवकाश–शिक्षक तथा विश्वविद्यालय के अन्य कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवा काल में 365दिन और एक कलैण्डर वर्ष में 31दिन के अर्द्ध औसत वेतन अवकाश ले सकेंगे। ऐसे अवकाश की अधिकतम अवधि भारत में एक बार में 90 दिन और विदेश में 180 दिन की अनुमति दी जाएगी।

(घ) असाधारण अवकाश– यदि कार्मिक के पास कोई अन्य अवकाश देय नहीं हो तो विशेष परिस्थितियों के अधीन बिना वेतन असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यह अवकाश केवल उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने या चिकित्सीय कारणों से स्वीकृत किया जा सकेगा। यह अवकाश कार्मिक की सेवा अवधि के दौरान दो बार स्वीकृत किया जा सकता है। प्रथम अवकाश विश्वविद्यालय में तीन वर्ष की सेवा के उपरान्त स्वीकृत किया जायेगा। कार्मिक को यह अवकाश दूसरी बार छः वर्ष की सेवा पर पूर्व में उपभोग किए गए अवकाश की अवधि, जिसमें दो अवकाशों के मध्य तीन वर्ष का अंतर हो, को छोड़कर स्वीकृत किया जा सकेगा। यह असाधारण अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में पांच वर्ष से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ड.) मातृत्व अवकाश– मातृत्व अवकाश विश्वविद्यालय की महिला कार्मिकों के लिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशानुसार अनुमन्य होगा।

(च) बाल्य देखभाल अवकाश–यह अवकाश महिला कार्मिकों को विशिष्ट परिस्थितियों तथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक, जबकि विकलांग संतानों के लिए संतान की आयु 21 वर्ष तक देखभाल हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशानुसार अनुमन्य होगा।

(छ) चिकित्सा अवकाश–

(एक) स्थायी कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 12महीनों का चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश उपभोग कर सकेगा। यदि उपार्जित अवकाश के साथ यह अवकाश उपभोग किया जाता है, जो इसकी अवधि एक बार में 08माह से अधिक नहीं होगी। यह अवकाश सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र कुलपति को प्रस्तुत कर उपभोग किया जाएगा।

(दो) अस्थायी कार्मिक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम चार महीनों का चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश का उपभोग कर सकेगा। उपार्जित अवकाश के साथ अवकाश लेने पर एक बार में 08माह से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यह अवकाश सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाणपत्र पर नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करने पर उपभोग किया जा सकेगा। यह अवकाश जिस पद से कार्मिक अवकाश पर गया है, अपने कार्य पर वापस आने तक की शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाएगा।

(ज) विश्राम दिवस अवकाश – विश्वविद्यालय का कोई नियमित शिक्षक जिसने विश्वविद्यालय की न्यूनतम चार वर्षों की सेवा कर ली हो, उन्नत शोध कार्य करने के लिए पूर्ण वेतन पर एक वर्ष का विश्राम दिवस संबंधी अवकाश

उपभोग कर सकता है और उसे यह वचन देना होगा कि वापस आने पर विश्वविद्यालय के लिए अगले दो वर्ष की सेवा करेगा तथा असफलता पर ऐसा शिक्षक प्राप्त अवकाश वेतन, अंशदायी भविष्य निधि, ब्याज की दर सहित, वापस करेगा। किसी शिक्षक को विश्राम दिवस संबंधी पूर्व उपभोग अवकाश एवं आवेदित अवकाश में 06वर्ष का अन्तराल होना चाहिए। शिक्षक संस्था में, जहां विश्राम दिवस संबंधी अवकाश व्यतीत कर रहा है, शोध अध्ययेतावृति या कोई अन्य पारिश्रमिक नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। शिक्षक द्वारा ऐसे श्रोत से प्राप्त धनराशि अवकाश अवधि के दौरान विश्वविद्यालय से प्राप्त अवकाश वेतन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

(झ) ड्यूटी अवकाश– शिक्षक को मुख्यालय से बाहर किसी अन्य संगठनों में पदीय बैठक में प्रतिभाग करने, परीक्षाएं आयोजित करने और अपनी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के प्रयोजन से अन्य संस्थाओं/संगठनों में भ्रमण हेतु एक कलैण्डर वर्ष में 25 दिन के लिए ड्यूटी अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि कुलपति द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

(ञ) अध्ययन अवकाश– शिक्षकों को विश्वविद्यालय में दो वर्ष की सेवा के पश्चात् अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में परास्नातकीय/डॉक्टरेट कार्यक्रमों या अन्य किसी परास्नातकीय कार्यक्रम के अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा:

(क) यदि कोई शिक्षक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यू.आई.पी.)/संकाय सुधार कार्यक्रम (एफ.आई.पी.) क्रार्यक्रम के अधीन सरकार या सरकारी संस्था से प्रायोजित या नामित किया जाता है या कुलपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी अभिकरण से छात्रवृत्ति/अध्ययेतावृत्ति प्राप्त करता है, तो उसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। सरकार या सरकारी संस्था से प्रायोजित अभ्यर्थी के मामले में अध्ययन अवकाश की अवधि का वेतन और भत्ते विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रतिस्थानी को देने के लिए वचन देगा। सम्बन्धित संकाय/कॉलेज द्वारा संस्तुत करने पर अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। अध्ययन अवकाश पर गया शिक्षक, उक्त अवधि का अनुमन्य पूर्ण वेतन महंगाई भत्ता सहित प्राप्त कर सकेगा। अध्ययन अवकाश पर जाने वाला शिक्षक कोई अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति या अन्य यात्रा छूट अध्ययन अवकाश की अवधि में किसी बाह्य अभिकरण से स्वीकार कर सकता है।

(ख) कोई शिक्षक जो उपरोक्त खण्ड (A) से आच्छादित नहीं होता है, वह अध्ययन अवकाश को उसे अनुमन्य उपार्जित अवकाश का पूर्ण वेतन या अर्धवेतन पर महंगाई भत्ता सहित उपभोग कर अवकाश पर जा सकता है।

(ग) सामान्यतया अध्ययन अवकाश परास्नातकीय मामले में दो वर्ष और डाक्ट्रेट कार्यक्रम हेतु तीन वर्ष का होगा, जिसे कुलपति प्रत्येक मामले में आपवादिक परिस्थितियों में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है।

(घ) शिक्षक यह वचन देगा कि वह वापस आने पर अध्ययन अवकाश के एक वर्ष के लिए न्यूनतम दो वर्ष की सेवा देगा, अन्यथा वह विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश अवधि के दौरान भुगतानित की गयी राशि के बराबर धनराशि अंशदायी भविष्य निधि की दर से आगणित कर विश्वविद्यालय को भुगतान करेगा।

(ड.) अध्ययन अवकाश में गये शिक्षक के संबंध में नियमित रूप से उसे अनुमन्य वार्षिक वेतनवृद्धि और विश्वविद्यालय भविष्य निधि अंशदान अनुमन्य होगा।

(च) कोई शिक्षक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल दो बार अध्ययन अवकाश का उपभोग कर सकता है।

(छ) प्रतिनियुक्ति–प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप किसी कार्मिक/शिक्षक को अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की जा सकती है।

(सात) अवकाश को किसी भी प्रकार से अधिकार स्वरूप नहीं लिया जायेगा और विश्वविद्यालय के हित में किसी अवकाश को उपभोग करने से मना किया जा सकता है, कटौती की जा सकती है या अवकाश पर गए कार्मिक को वापस बुलाया जा सकता है।

(पाँच) स्थायी तथा अस्थायी कार्मिकों के लिए अवकाश नियमावली पृथक से तैयार की जाएगी।

(छः) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अवकाश सम्बन्धी शासनादेश यथावत लागू होंगे।

13. भविष्य निधि

(एक) विश्वविद्यालय में सभी नियुक्तियां अंशदायी भविष्य निधि की योजना के अधीन की जाएंगी। लाभकारी पेंशन योजना हेतु केवल उन्ही कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा, जो ऐसे संगठन से विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करते समय राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि सहित पूर्व पेंशन योजना से आच्छादित थे।

(दो) सभी नई नियुक्तियां शासनादेश सं. 21/अंशदायी पेंशन योजना/2005 दिनांक 25.10.2005 (समय–2 पर संशोधित) के प्राविधानों के अधीन नई पेंशन योजना के अन्तर्गत की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।

14. सेवानिवृत्तिक उपादान, यात्रा एवं अन्य भत्ते

(एक) प्राधिकारियों और समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करने और पदीय कार्यों के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का भुगतान तैनाती के स्थान से बाहर जाने–आने के लिए किया जाएगा।

(दो) सदस्य को उसके मूल विभाग में अनुमन्यता श्रेणी के आधार पर लघुतम मार्ग द्वारा किलोमीटर/आकस्मिक व्यय सहित सामान्य आवास या जहाँ से यात्रा प्रारम्भ की है, जो भी कम हो, से रेल/सड़क किराया भुगतान किया जाएगा। यदि सदस्य अपने सामान्य आवास से अपने सामान्य दायित्वों के कारण बाहर हो और वहां से यात्रा प्रारम्भ करता है, तो उसे यात्रा भत्ता दावा उसी अनुरूप अनुमन्य होगा। आपवादिक मामलों में कुलपति उच्च श्रेणी या हवाई यात्रा की अनुमति दे सकता है।

(तीन) टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए उच्च श्रेणी की एक सीट तथा उसका आधा किराया, स्थिति की अत्यावश्यकता पर और आपवादिक परिस्थितियों में परीक्षक, चयन समिति के सदस्य, विशिष्ट अतिथि या अन्य किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा विहित दरों पर यात्रा भत्ता का भुगतान विश्वविद्यालय हित में करने के लिए टैक्सी या स्वयं के वाहन से यात्रा करने की अनुमति कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

(चार) कोई सदस्य विश्वविद्यालय की बैठक या पदीय कार्य के लिए सामान्य आवास से अन्यत्र जाता है तो वह विराम भत्ता राज्य सरकार के समरूप स्तर के अधिकारी को अनुमन्य बैठक या पदीय कार्य के लिए बैठक में प्रतिभाग करने के प्रत्येक दिन या पदीय कार्य के लिए विराम की अवधि के किसी प्रतिबंध के बिना बीच की छुट्टियों के लिए विराम भत्ता आहरित करेगा। यदि सदस्य विश्वविद्यालय की दो या दो से अधिक बैठकों में प्रतिभाग करता है और बैठकों

के बीच 04दिन का व्यवधान है तो उसे उपरोक्त दरों पर बीच के दिनों के लिए भी विराम भत्ता का दावा करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते वह बैठक या पदीय कार्य के स्थान पर ठहरता हो।

(पॉच) गैर पदीय सदस्यों हेतु भत्ते आदि–

(क) सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी को, जिसे सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी परिलब्धियों के आधार पर यात्रा भत्ता नियमों के अधीन अनुमन्य हो, और यदि यह सुविधा सरकार में ऐसे अधिकारियों को अद्यतन उपलब्ध हो,

(ख) किसी शासकीय और निजी संगठन के साथ सहयुक्त व्यक्ति, जिसे ऐसी सुविधा उक्त संगठन के नियमों या आदेशों के अधीन अनुमन्य हो,

(ग) कोई व्यक्ति, जिसने अपनी निजी पदीय यात्रा में यह सुविधा ली हो या जिसने वातानुकूलित कोच में बीमारी, अधिक आयु या अंग शैथिल्य के कारण यात्रा की हो, को वातानुकूलित कोच या हवाई जहाज में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों को छोड़कर प्राधिकरणों और समितियों के पदेन सदस्य ऐसे नियमों के अधीन अनुमन्य यात्रा भत्ता तथा विराम भत्ता का दावा करेंगे, जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाए।

(सात) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता–

(क) विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों को यात्रा भत्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार देय होगा;

(ख) यात्रा भत्ता की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही देय होंगी।

(ग) पदीय कार्यो के लिए यात्रा हेतु विश्वविद्यालय के अस्थाई/संविदा कर्मचारियों का यात्रा भत्ता नियमित कर्मचारियों के समान ही श्रेणी के आधार पर देय होगा।

(आठ) विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद् ऐसे मामलों में, जो इन परिनियमों से आच्छादित नहीं होंगे, यात्रा भत्ता दरें अवधारित कर सकती है।

(नौ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, विश्वविद्यालय द्वारा उसके स्थायी/अस्थाई कर्मचारियों को समय--समय पर अनुमोदित और परिवर्धित दर पर संदाय किया जाएगा।

15. वित्त समिति

(एक) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी :–

(1) कुलपति – अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त या उनके द्वारा नामित अधिकारी– सदस्य
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि या उनके द्वारा नामित अधिकारी– सदस्य
(4) कुलपति द्वारा नामित प्रबन्ध परिषद् से एक निदेशक/अधिष्ठाता– सदस्य
(5) प्रबन्ध परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य– सदस्य
(6) वित्त नियंत्रक– सदस्य सचिव
(7) कुल सचिव– सदस्य
(8) उप–वित्त नियंत्रक – विशेष आमंत्री

(दो) वित्त समिति, प्रबन्ध परिषद् को विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है और इस प्रकार नियत सीमा प्रबन्ध परिषद् पर आबद्धकारी होगी।

(तीन)वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जाए।

(चार)जब कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, प्रबन्ध परिषद उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि प्रबन्ध परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि प्रबन्ध परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(पॉच)वित्त समिति की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक–तिहाई होगी। गणपूर्ति एक–तिहाई से कम होने की स्थिति में, बैठक स्थगित की जा सकेगी। तदोपरांत उसी उद्देश्य के लिए बुलाई गई अगली बैठक में एक–तिहाई गणपूर्ति की बाध्यता नहीं रहेगी।

16. विश्वविद्यालय परामर्शी समिति

(एक) प्रबन्ध परिषद्, शैक्षणिक परिषद की संस्तुति पर प्रबन्ध परिषद् और शैक्षणिक परिषद को शैक्षिक हितों के मामलों में परामर्श के लिए कुलपति की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय परामर्श समिति का गठन कर सकती है;

(दो) परामर्श समिति के सदस्य उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन्यजीव विज्ञान, प्रबंधन, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, जनसंचार, उद्योग तथा विश्वविद्यालय के अध्ययन क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

(तीन) परामर्श समिति के सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।

(चार) समिति का कार्यकाल विश्वविद्यालय द्वारा उसके गठन के समय अवधारित किया जाएगा।

(पॉच) विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक समिति का सदस्य होगा।

(छः) विश्वविद्यालय का कुलसचिव समिति का सदस्य सचिव होगा।

17. संकाय उन्नयन समिति

संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता, संकाय उन्नयन समिति का अध्यक्ष होगा/होगी। संकाय के सभी विभागाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त बाह्य विषयों के विशिष्ट विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी –

(एक) नियमित/दीर्घकालिक अभ्यागत संकाय का उन्नयन;

(दो) नियमित संकाय का उन्नयन;

(तीन) परीवीक्षा अवधि के पूर्ण होने पर स्थायीकरण/उत्तरवर्ती पदोन्नति हेतु कार्य का पुनर्विलोकन; और

(चार) नियमित संकाय का पंचवर्षीय कार्य पुनर्विलोकन।

18. शिकायत निवारण समिति

विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों तथा अन्य इकाईयों/केन्द्रों में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जायेगा। महाविद्यालय/इकाई/केन्द्र का सक्षम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा। समिति में कार्मिकों के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा। कोई भी कार्मिक, यदि उसको कोई शिकायत/कष्ट हो तो वह उक्त समिति के समक्ष अपनी शिकायत/कष्ट दर्ज करा सकता है। समिति द्वारा निश्चित अवधि में समस्या का समाधान/निवारण किया जाना अपेक्षित होगा। यदि समिति द्वारा समाधान सम्भव न हो सके तो समिति प्रकरण को उच्चस्तरीय अधिकारी/कुलसचिव को प्रेषित करेगी।

कुलसचिव स्तर पर भी समाधान/निवारण न होने की स्थिति में, शिकायतकर्ता कुलपति के समक्ष अपनी शिकायत/कष्ट प्रस्तुत कर सकेगा। कुलपति के स्तर पर भी यदि निवारण नहीं हो पाता है तो शिकायतकर्ता आरबीट्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेगा।

19. (क) यौन शोषण निरोधक समिति

विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों तथा अन्य इकाईयों/केन्द्रों में यौन शोषण निरोधक समिति का गठन किया जायेगा। महाविद्यालय/इकाई/केन्द्र की सक्षम महिला अधिकारी/कार्मिक, उक्त समिति की अध्यक्षा होगी। समिति में महिला कार्मिकों के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा। कोई भी महिला कार्मिक, यदि उसको कोई शिकायत/कष्ट हो तो वह उक्त समिति के समक्ष अपनी शिकायत/कष्ट दर्ज करा सकती है। समिति द्वारा निश्चित अवधि में समस्या का समाधान/निवारण किया जाना अपेक्षित होगा। यदि समिति द्वारा समाधान सम्भव न हो तो समिति प्रकरण को उच्चस्तरीय अधिकारी/कुलसचिव को प्रेषित करेगी। कुलसचिव स्तर पर भी समाधान/निवारण न होने की स्थिति में, शिकायतकर्त्ता कुलपति के समक्ष अपनी शिकायत/कष्ट प्रस्तुत कर सकेगी।

उक्त समिति अपनी कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्त्ता की मर्यादा/सम्मान तथा गोपनीयता आदि का ध्यान रखेगी।

19. (ख) अप्राकृतिक यौन शोषण निरोधक समिति

विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों तथा अन्य इकाईयों/केन्द्रों में अप्राकृतिक यौन शोषण निरोधक समिति का गठन किया जायेगा। महाविद्यालय/इकाई/केन्द्र का सक्षम अधिकारी/कार्मिक, उक्त समिति का अध्यक्ष होगा। समिति में कार्मिकों तथा छात्रों के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा। कोई भी कार्मिक या छात्र, यदि उसको कोई शिकायत/कष्ट हो तो वह उक्त समिति के समक्ष अपनी शिकायत/कष्ट दर्ज करा सकता है। समिति द्वारा निश्चित अवधि में समस्या का समाधान/निवारण किया जाना अपेक्षित होगा। यदि समिति द्वारा समाधान सम्भव न हो सके तो समिति प्रकरण को उच्चस्तरीय अधिकारी/कुलसचिव को प्रेषित करेगी। कुलसचिव स्तर पर भी समाधान/निवारण न होने की स्थिति में, शिकायतकर्त्ता कुलपति के समक्ष अपनी शिकायत/कष्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

उक्त समिति अपनी कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्त्ता की मर्यादा/सम्मान तथा गोपनीयता आदि का ध्यान रखेगी।

20. लोक सूचना समिति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों तथा अन्य केन्द्रों/इकाईयों में लोक सूचना समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति उक्त अधिनियम, 2005 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य का निष्पादन करेगी। समिति की संरचना आदि भी उक्त अधिनियम के अनुसार होगी जिसमें लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी आदि की नियुक्ति अधिनियम के अनुरूप ही की जायेगी। विश्वविद्यालय का कुलसचिव अपीलीय अधिकारी होगा। लोक सूचना इकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार से अतिआवश्यक कर्मियों के पद तथा पृथक से भवन हेतु सहायता मांगी जा सकती है।

21. अधिभार

(एक) विश्वविद्यालय की निधियों की या सम्पत्ति की क्षति या हानि या दुरूपयोग की स्थिति में कुलाधिपति/राज्य सरकार उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा करा सकते है।

(दो) कुलाधिपति/राज्य सरकार लेखापरीक्षा रिर्पोट प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के उस कार्मिक को, जिसकी उपेक्षा/दुराचरण के कारण क्षति, हानि या दुर्वियोजन हुआ है, उसके कार्य का स्पष्टीकरण विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से मांग सकते हैं।

कुलाधिपति/राज्य सरकार सम्परीक्षा लेखा और सम्बन्धित कार्मिक के उत्तर के विचारोपरान्त इस संबंध में समुचित कारवाई कर सकते हैं।

22. प्रतिनिधि सदन (हाऊस ऑफ रिप्रज़ेन्टेटिव्स)

(एक) विश्वविद्यालय स्तर पर एक केन्द्रीय प्रतिनिधि सदन का गठन किया जायेगा जिसकी शाखा विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय/परिसर में गठित की जाएगी।

(दो) सदन में विश्वविद्यालय के लगभग सभी वर्गों (यथा पूर्णकालिक एवं नियमित शिक्षक, वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी, पूर्णकालिक एवं नियमित पंजीकृत छात्र आदि) का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा ।

(तीन) सदन में महिलाओं की संख्या, विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक एवं नियमित महिला कार्मिकों की संख्या का कम से कम 30 प्रतिशत होगी।

(चार) प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया, जैसा कि सदन की नियमावली में विहित हो, द्वारा चुन कर आयेंगे।

(पांच) विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष अधिष्ठाता, छात्र कल्याण तथा उपाध्यक्ष कुलसचिव होगा/होगी। महाविद्यालय/परिसर स्तर पर सदन का अध्यक्ष छात्र कल्याण सम्बन्धित अधिकारी तथा उपाध्यक्ष सहायक कुलसचिव अथवा समकक्ष अधिकारी होगा/होगी।

(छः) प्रतिनिधिगण सदन में विश्वविद्यालय के सभी वर्गों के चहुमुखी विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करेंगे तथा वर्तमान समस्याओं और भविष्य में सम्भावित समस्याओं के निदान हेतु चर्चा कर सुझाव प्रेषित करेंगे।

(सात) सदन के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदन द्वारा पारित सुझाव विश्वविद्यालय के अधिकृत अधिकारियों/प्राधिकारों को प्रेषित करेंगे।

(आठ) विश्वविद्यालय प्रशासन सम्यक् विचारोपरान्त सुझावों को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में सुधार तथा विश्वविद्यालय के चहुंमुखी विकास हेतु यथासंभव सम्मिलित कर सकते हैं।

(नौ) सदन के गठन तथा संचालन आदि से सम्बन्धित नियमावली अलग से तैयार की जाएगी।

23. पूर्ववर्ती छात्र इकाई

(एक) विश्वविद्यालय में एक पूर्ववर्ती छात्र इकाई की स्थापना की जायेगी। विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त पूर्व छात्र निर्धारित सदस्यता शुल्क देकर इकाई के सदस्य बन सकते हैं।

(दो) इकाई के सदस्य अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की सहायता से वर्ष में एक या दो बार विश्वविद्यालय में मिलन समारोह कर सकते हैं।

(तीन) पूर्व छात्र एवं वर्तमान छात्र व संकाय सदस्य मिलकर विश्वविद्यालय के विकास हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रेषित कर सकते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन यथासंभव कार्यवाही हेतु विकास योजनाओं में सम्मिलित कर सकता है।

24. छात्र परामर्श पद्धति और छात्र चिन्हीकरण संख्या

विश्वविद्यालय, प्रवेश के समय छात्रों की निश्चित संख्या किसी संकाय को सौंप कर छात्रों एवं संकाय/महाविद्यालय के मध्य आपसी संवर्द्धन के लिए छात्र परामर्श समिति बनाकर युक्ति कर सकेगा। संकाय सदस्य, पथप्रदर्शक के रूप में कार्य

करेगा/करेगी और उसको सौंपे गए छात्रों के शैक्षणिक तथा अन्य सभी दार्शनिक मामलों का सम्पादन करेगा। वह उसकी युक्ति की नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य और जब यदि आवश्यक हो, तो उसके माता–पिता से सम्पर्क करेगा। प्रत्येक छात्र के लिए, कुलसचिव कार्यालय प्रवेश के समय एक स्थायी चिन्हांकन संख्या जारी करेगा। छात्रों से संबंधित सभी मामलो पर उसकी पहचान संख्या के प्रयोग के साथ कार्यवाही की जाएगी।

25. परामर्शी एवं व्यवसायिक सेवाएं

(एक) कुलपति विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को परामर्शी और व्यावसायिक कार्य करने, यथा पाठ्यक्रम/शैक्षणिक कार्यक्रम का विकास, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी, व्याख्यान देने, बोर्ड या समिति की सदस्यता आदि की अनुमति दे सकता है।

(दो) वाह्य अभिकरणों द्वारा याचित परामर्शी और व्यावसायिक सुविधा के लिए विश्वविद्यालय या सम्बन्धित संकाय/महाविद्यालय सदस्य से ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट या मामले, जिसके लिए ऐसी सेवा प्रार्थित है, उसका विवरण देते हुए सम्पर्क कर सकता है। सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय अधिष्ठाता प्रोजेक्ट के लिए जाने हेतु विशेषज्ञ को चिन्हित करेगा।

(तीन) परामर्शी सेवा सुविधा, संकाय सदस्य को एक वर्ष में अधिकतम 50 दिनों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह अवधि विशेष परिस्थितियों में कुलपति द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

(चार) परामर्श से प्राप्त होने वाले व्यावसायिक शुल्क का 40 प्रतिशत सीधे विश्वविद्यालय की विकास निधि में जमा किया जायेगा। शुल्क की बाकी 60 प्रतिशत आय में से नियत कार्य के लिए हुए व्यय को कम करके अवशेष धनराशि उक्त कार्य में सम्मलित संकाय सदस्य एवं अन्य कर्मचारियों को निर्धारित अनुपात में दी जा सकेगी।

(पॉच) परियोजना आंकलन रिर्पोट तैयार करने की प्रक्रिया, परामर्श सेवा की शर्ते, परामर्शी/व्यवसायिक नियत कार्य और कुल बचत के संवितरण की रीति तथा अन्य विषय शैक्षणिक परिषद् द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

26. महाविद्यालय/संस्थाओं की संबद्धता

(एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के दिशा–निर्देशों के तहत विश्वविद्यालय किसी भी महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता प्रदान नहीं कर सकेगा।

(दो) विश्वविद्यालय केवल कॉन्स्टीट्यूएन्ट कॉलेजों की स्थापना कर सकेगा।

27. डिग्री और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना

(एक) परिनियमावली में उल्लिखित विश्वविद्यालय के संकाय/महाविद्यालयों में शोध, परास्नातक और स्नातक स्तर की डिग्री, मानद डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं शैक्षणिक परिषद् द्वारा प्रस्तावित तथा प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में संस्थित की जाएगी। इसके लिए अध्यादेशों/विनियमों में नियम विहित किए जायेंगे।

(दो) मानद उपाधियों को संस्थित किए जाने के लिए प्रस्ताव विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित समिति करेगी। शैक्षणिक परिषद् और प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने पर, पुष्टि के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(तीन) शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित अध्यादेशों/विनियमों में उपबंधित निबन्धनों के अधीन प्रदान की गई डिग्री विश्वविद्यालय वापस ले सकता है, यदि इसके लिए पर्याप्त कारण हों।

(चार)विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक डिग्री को प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक अर्हताएं अध्यादेशों/विनियमों में विहित की जाएंगी।

28. अध्येयतावृत्ति, छात्रावृत्ति, पदक तथा अन्य पुरस्कार

प्रबन्ध परिषद्, शैक्षणिक परिषद् की संस्तुति पर अध्ययेतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की नीति का अनुमोदन करेगी।

29. अध्यादेश

(एक)अधिनियम तथा इस परिनियमावली के प्राविधानों के अध्याधीन, विश्वविद्यालय अध्यादेशों के द्वारा छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखने तथा उनके छात्रावास में निवास, उदार शिक्षा प्राविधान और संस्थाओं का निरीक्षण, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित प्रयोगशालाएं व इकाईयां और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की संख्या, अर्हताएं, परिलब्धियां, प्रोत्साहन और शर्तें तथा निबन्धन उपबन्धित कर सकता है।

(दो) प्रवेश, नामांकन, परीक्षाएं, परीक्षकों की नियुक्तियां, शुल्क ढांचा और किसी अन्य छात्र या संकाय/महाविद्यालय से संबंधित मामलों में प्रबन्ध परिषद् द्वारा शैक्षणिक परिषद् की संस्तुति प्राप्त करने के उपरान्त अध्यादेश बनाए जा सकते है। प्रबंध परिषद् संस्तुतियों या उसके किसी भाग को शैक्षणिक परिषद् के पुनर्विचार के लिए अपने स्तर पर बिना किसी उपान्तरण या संशोधन किए संदर्भित कर सकती है। यदि शैक्षणिक परिषद् द्वारा उस पर पुनर्विचार कर लिया गया है तो शैक्षणिक परिषद् की कोई संस्तुति दोबारा वापस लौटायी नही जायेगी।

(तीन)अध्यादेश में संशोधन, प्रबन्ध परिषद् द्वारा शैक्षणिक परिषद् की संस्तुति पर किए जा सकते हैं।

30. विनियम

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत निम्नलिखित विनियम बना सकेंगे–

(क) बैठकों को आहूत करने, बैठकों की गणपूर्ति और बैठकों के अभिलेखों के रख–रखाव की प्रक्रिया आदि,

(ख) पाठ्यक्रमों से संबंधित विहित मामले/परिक्रियाएं और शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित मामले, जो अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों में उपबन्धित नहीं हैं,

(ग) उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों और समितियों से संबंधित मामले में जो अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में उपबंधित नहीं हैं, और

(घ) अन्य कोई मामले, जो प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाएं,

(ड.) शैक्षिक विनियम, शैक्षणिक परिषद् द्वारा स्वयं अथवा संकाय/महाविद्यालय परिषद्/परिषदों की संस्तुति पर संशोधित किए जा सकते हैं।

(डॉ. रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the first statutes of the Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar (Pauri Garhwal).

Government of Uttarakhand
Agriculture & Marketing Section-2
No.1334/XIII-II/2014-14(12)/2013
Dehradun : Dated : January 01, , 2014

Notification

In pursuance of the provisions under section 28 & 29 of Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidhyalaya (Amendment) Act, 2011 {Uttarakahand Act No. 13 of 2011} dated 28th April, 2011, for the functioning of Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar, Pauri Garhwal, the Governor of Uttarakhand frames the first Statutes of the University as under:-

The Uttarakhand University of Horticulture & Forestry First Statutes, 2014

1- Short title

(i) These Statutes may be called as The Uttarakhand University of Horticulture & Forestry First Statutes, 2013.

(ii)The Statutes shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Gazette.

2- Definitions

(i) "Academic Activities" means teaching, research and extension activities of the University;

(ii) "Act" means the Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidhyalaya Act, 1958 (as applicable to the state of Uttarakhand and as amended from time to time);

(iii) "Head" means Head of the Authority, Department or Centre appointed under the provisions of the Act or Statutes of the University;

(iv) "Chancellor", "Vice-Chancellor", "Registrar" and "Finance Officer" mean respectively the Chancellor/ Governor, Vice-Chancellor, Registrar and Finance Officer of the University;

(v) "Chief Hostel Superintendent", "Hostel Superintendent", "Assistant Hostel Superintendent" mean respectively the Chief Hostel Superintendent, Hostel Superintendent and Assistant Hostel Superintendent of the University;

(vi) "Dean of Faculty/ College Dean" means Head of the subject matter faculty/ Head of constituent College;

(vii) "Director" means Director of Education/ Academic, Director of Research, and Director of Extension/ Extension Education/ Technology Transfer or any other Director of the University;

(viii) "Hostel" means a place of residence for students of the University;

(ix) "Officer", "Authority", "Board of Management", "Academic Council" and "Faculty/ College/ Department/ Division/ Section" mean respectively an officer of the University as specified in the Act/ Statutes, Authority, Board of Management, Academic Council and Faculty/ College/ Department/ Division/ Section of the University;

(x) "Prescribed" means provisions prescribed under the Act, Statutes, Ordinances or Regulations;

(xi) "Dean/ Professor", "Associate Professor/ Assistant Professor" mean professor, associate professor and assistant professor appointed under the provisions of the University Act;

(xii) "Faculty/ College Board of Studies" means Faculty/ College Board of Studies;

(xiii) "Appointing Authority" for the post of Assistant Professor and above means Board of Management while for the posts lower than Assistant Professor means Vice-Chancellor;

(xiv) "Section" means section of the Act;

(xv) "University" means Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar, Pauri Garhwal;

(xvi) "University Grants Commission" means University Grants Commission (UGC) established under the provisions of the University Grants Commission Act, 1956;

(xvii) "Indian Council of Agricultural Research" means Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi.

3. Authorities of the University

The University shall have the following authorities:

(1) Board of Management;
(2) Academic Council;
(3) Research Council;
(4) Extension Council/ Extension Education Council;
(5) Faculties and their Board of Studies;
(6) Such other bodies of University as may be declared by the Statutes to be authorities of University;

Constitution, Powers and duties of the Board of Management

3 (1) (a) Board of Management

The Board of Management of the University shall be constituted in accordance with the provisions under Section 10 of the Act. The Board shall have the following members:

Ex-Officio Members

(i) Vice-Chancellor – Chairman
(ii) Principal Secretary/ Secretary, Agriculture & Agriculture Education of State Government or his nominee not below the rank of Additional Secretary - Member;
(iii) Principal Secretary/ Secretary, Finance of State Government or his nominee not below the rank of Additional Secretary – Member;
(iv) Principal Secretary/ Secretary, Forest of State Government or his nominee not below the rank of Additional Secretary – Member;
(v) Director of State Agriculture Department – Member;
(vi) Director of State Horticulture Department - Member;

(vii) Finance Comptroller of the University – Member;
(viii) Registrar - Member Secretary

Other Members

(ix) Two representatives of State Legislative Assembly (MLAs) to be nominated by the said Assembly;
(x) The following five members to be nominated by the State Government:
  (1) One eminent scientist from the field of Agriculture/ Horticulture/ Forestry to be nominated by the State Government;
  (2) One progressive farmer to be nominated by the State Government;
  (3) One eminent Plant Breeding scientist to be nominated by the State Government;
  (4) One distinguished agro-industrialist to be nominated by the Government.
  (5) One leading woman social worker having background of rural advancement to be nominated by the Government.
(xi) One representative from the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to be nominated by the Director General, ICAR.
(xii) One Director and one Dean from the University to be nominated by the Vice-Chancellor.
(xiii) One representative from the Ex-students (Alumni) Unit registered with the University.

3 (1) (b) Board of Management: Duties and Powers

(i) The Board of Management shall be the chief executive authority of the University and shall manage and regulate the properties and activities of the University and shall give general directives in respect thereof.
(ii) The Board of Management can with the prior permission of the State Government authorise the university to transfer movable and immovable properties.
(iii) The Board of Management shall select/ approve the common seal of the University.

In addition, the Board of Management shall also exercise the following powers and responsibilities:

(iv) Approval of the budget for the financial needs of the University;
(v) Hold and control the properties and funds of the University and issue general directives in respect thereof;
(vi) Acceptance of transfer of any movable/ immovable asset on behalf of the University;
(vii) Administer the funds at the disposal of the University for the purposes so specified;
(viii) Investment of University funds;
(ix) Borrow money for capital investment with the prior permission of the State Government and arrange for its re-payment;
(x) Accept donations, trusts and testaments on behalf of the University;
(xi) Consider the recommendations of Academic, Research, Extension Council wherever necessary and approve them;
(xii) Appoint such councils, committees and bodies which it deems necessary and to fix their duties in accordance with the provisions of the Act or Statutes;
(xiii) Consider and approve establishment/ merger/ dissolution of any College, Department, Centre or Sub-Centre on the recommendations of Academic/ Research/ Extension Council;

(xiv) Sanction teaching, research and extension posts with the approval of the State Government;

(xv) Approve recommendations of the Selection Committees for the appointment (direct recruitment) of teachers and officers of the level of assistant professors and above in the manner prescribed for the same.

3 (1) (c) Term of Office of Board Members and Quorum

(i) The term of the office of the Members of the Board other than the ex-officio members shall be three years from the date of notification but the membership of ex-officio member shall cease on attainment of superannuation or as a result of resignation from the post due to which he/ she became a member;

(ii) The quorum for the meeting of the Board of Management shall be in accordance with the provisions of the Act.

(iii) No, decision of the Board of Management shall be held invalid merely on the ground of any defect in the constitution of the Board or any vacancy in the Board.

3 (2) (a) Academic Council;

The Academic Council shall be constituted in accordance with the provisions under Section 8(b) (ii) of the Act and Section 3(2) of the Statutes.

(1) The Academic Council shall have the following members:-

(i) Vice-Chancellor – Chairman;
(ii) Directors, Research and Extension - Member;
(iii) All Deans - Member;
(iv) Two Heads of Departments from each faculty on rotational basis to be nominated by the Vice-Chancellor - Member;
(v) One Professor from each faculty on rotational basis to be nominated by the Vice-Chancellor - Member;
(vi) One eminent educationist from outside the University, from the field of Agriculture/ Horticulture/ Forestry to be nominated by the Vice-Chancellor - Member;
(vii) Director Academic/ Director Resident Instructions - Member;
(viii) Registrar – Member secretary;
(ix) Comptroller and University Librarian shall be Non member invitees;

(2) The Academic Council may co-opt a maximum of two teachers/ scientists for a fixed term with a view to give adequate representation to various branches of horticulture/ forestry.

(3) One-third members shall form the quorum for a meeting of the Academic Council. However, the quorum shall not be mandatory for the next meeting called for the same objective.

(4) Ordinarily, the meeting of the Academic Council shall be held once every semester on the date specified by the Vice-Chancellor. However, special meetings can be called by the Vice-Chancellor in exceptional/ unavoidable circumstances.

3 (2) (b) Academic Council: Duties and Powers

(i) The Academic Council shall have the control and general regulation of the Academic Programmes/ Syllabi for various courses offered by the University and shall be responsible for the maintenance of the academic standards.

(ii)The Academic Council shall control/ amend the provisions of the regulations related to academic affairs of the University in the manner so prescribed.

(iii)The Academic Council shall make recommendations in respect of essential and desired eligibility requirements for the direct recruitment of directors/ officers/ scientists related to Teaching/ Research/ Extension. The committee constituted by the Vice-Chancellor shall make recommendations for essential and desirable qualifications on the basis of national norms/ guidelines issued by UGC, ICAR, ICFRE and submit them for approval of the academic council. Once approved, the eligibility qualifications shall become applicable.

(iv)The Academic Council shall specifically exercise the following powers:-

(a) Shall give its recommendations to Vice-Chancellor/ Board of Management in academic affairs.

(b) Shall make recommendations in respect of duties of Professors, Associate Professors and other teaching, research and extension posts.

(c) Shall make recommendations for the adjunct professorship.

(d) Shall make recommendations in respect of establishment/ amalgamation/ abolition of faculties/ colleges.

(e) Shall determine requirements and number of students for admission to various courses.

(f) Shall determine institution of degrees/ diplomas/ certificates and determine their syllabi.

(v) Shall make regulations in respect of honorarium due to question paper setters, moderators and for other related services for the conduct of examinations. The Academic Council shall make regulations for smooth conduct of examinations and for maintenance of academic standards.

(vi) Shall make recommendations to the Board of Management for conferment of honorary degrees.

(vii)May constitute committees/ sub-committees for specific academic purposes.

(viii)Shall have power to withdraw any degree, diploma, certificate, award, honorary degree conferred by the University to any person provided that adequate valid reasons exist for the same.

(ix) Shall have all the powers in respect of academic affairs as granted by the Vice-Chancellor/ Board of Management under the provisions of the University Act.

3 (3) (a) Research Council: The Research Council shall be constituted under the provisions of Section 8 (b) (iv) of the Act and Section 3 (3) of the Statutes. The University shall have a Research Council with the following members:-

(i) Vice-Chancellor – Chairman;

(ii) Director of State Agriculture Department, Director of State Horticulture Department, Principal Chief Conservator of Forests and Officers of related Departments of the State Government depending on the research mandate and the programmes of the University;

(iii) Director Academic of the University;

(iv) Director Extension of the University;

(v) All Deans of the University;

(vi) The Research Council may co-opt for a stipulated period, a maximum of four persons including two eminent scientists and two progressive farmers as members

with a view to grant adequate representation to various related fields of horticulture/ forestry;

(vii) Director Research of the University – Member Secretary;

(viii) The Registrar and the Finance Comptroller of the University shall be Non Member Secretaries.

3 (3) (b) Duties of the Research Council:

The Research Council shall consider and make recommendations in respect of the following:-

(i) Research programmes, projects and activities of the University in fields of horticulture, forestry and allied sciences; their prioritisation, experimentation and evaluation;

(ii) Arrangement of required physical, financial and administrative facilities to carryout research projects;

(iii) Carrying out Research in accordance with the needs of farmers and other stakeholders;

(iv) Public-Private Partnership in research;

(v) Any other research matter referred to it by the Vice-Chancellor/ Board of Management/ any other authority of the University.

3 (4) (a) Extension Council/ Extension Education Council: The Extension Council shall be constituted under the provisions of Section 8 (d) (iv) of the Act and Section 3 (4) of the Statutes.

The University shall have an Extension Council with the following members:-

(i) Vice-Chancellor – Chairman;

(ii) Director of State Agriculture Department/ Director of State Horticulture Department/ Director of State Fisheries Department/ Directors or Head of the Forest and other related Departments of the State Government or their nominees;

(iii) Director Academic/ Director Research to be nominated by the Vice-Chancellor shall be member;

(iv) All Deans of the University;

(v) Heads of all Centres of the University and Heads of Krishi Vigyan Kendras;

(vi) Two eminent persons in the field of Extension Education from outside the University to be nominated by the Vice-Chancellor for a stipulated period which can be extended if needed;

(vii) Two progressive farmers to be nominated by the Vice-Chancellor for a stipulated period which can be extended if needed;

(viii) Vice-Chancellor may co-opt up to two members from related Non-Government-Organizations for a stipulated period which may be extended if needed;

(ix) Professor/ scientist/ Director Extension to be nominated by the Vice-Chancellor – Member Secretary.

3 (4) (b) Duties of Extension Council/ Extension Education Council:

The Extension Council shall consider and make recommendations in respect of the following:-

(i) Extension programmes/ Extension projects/ Technology Transfer programmes of the University;

(ii) Co-ordination of Extension Education Activities of the University initiated by Krishi Viyan Kendras/ Extension Centre and other units;
(iii) Development of consultancy services and farmers training programmes;
(iv) Determination of extension education programmes and extension projects and their evaluation;
(v) Co-ordination of technology transfer activities of the University;
(vi) Any other matters referred to it by the Vice-Chancellor/ Board of Management/ any other authority of the University.

3 (5) (a) Faculty/ College Board of Studies

1. Each faculty of the University shall have Board of Studies with the following members:-

(i) Faculty Dean - Chairman;
(ii) Deans of constituent colleges of the faculty;
(iii) All heads of departments of the faculty concerned;
(iv) A senior faculty member from each department to be nominated by the faculty dean;
(v) A senior head of department – Member Secretary.

2. Each faculty board of studies shall have the following duties:-

(i) Review of teaching programmes and recommending improvements;
(ii) Consideration of recommendations made by syllabi committee or faculty department body and submission of the same for the approval of Academic Council;
(iii) Any other responsibility given to it by the Vice-Chancellor or the Academic Council;

3 (5) (b) College Board of Studies

1. The University shall have constituent college/ colleges.
2. Each college shall have a Board of Studies with the following members:-

(i) College Dean - Chairman;
(ii) All heads of departments of the colleges concerned;
(iii) A senior faculty member to be nominated by the college dean;
(iv) A senior head of department – Member Secretary.

3. Each college board of studies shall have the following duties:-

(i) Review of teaching programmes and recommending improvements;
(ii) Consideration of recommendations made by syllabi committees of the department body and submission of the same to faculty board of studies;
(iii) Any other responsibility given to it by the Vice-Chancellor or the Academic Council;

4 (i) Officers of the University:

The following shall be the officers of the University, namely:

(a) The Chancellor (Governor of Uttarakhand);
(b) The Vice-Chancellor (to be appointed in accordance with the provisions in the Act);
(c) Directors (Academic/ Research/ Extension and any other Director prescribed in the Statutes);
(d) Deans of Faculties/ Colleges;

(e) Dean Student Welfare;
(f) Registrar;
(g) Finance Comptroller (to be appointed by the State Government in accordance with the provisions in the Act).

4 (ii) Other Officers of the University:

(a) Librarian of the University;
(b) Estate Officer;
(c) Any other officer as provisioned by the Vice-Chancellor/ Board of Management.

4 (i)

(A) **Chancellor:** Governor of the State shall be the Chancellor of the University. He/ She shall be the ex-officio head of the university and shall preside over the Convocation of the University when present. He shall have all such powers as granted to him under the provisions of the Act and the Statutes.

(B) **(a) Vice-Chancellor:**

(i) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University. The first Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government. The tenure of the Vice-Chancellor shall be 3 years. He shall look after the responsibilities of establishment of the University, its development and functioning according to his discretion till the constitution of Board of Management/ other authorities of the University;

(ii) The Vice-Chancellor shall be eligible for such pay-band as determined by the State Government from time to time and such allowances as applicable for other employees of the University. But there shall be no non-beneficial change in the tenure and service conditions in respect of the Vice-Chancellor. But in case, the Vice-Chancellor is a pensioner or eligible to receive pension, the allowances shall be determined by the State Government;

(iii) The Vice-Chancellor shall be eligible for a fully furnished residence, free of cost which shall be maintained by the University.

(iv) The Vice-Chancellor shall be eligible for TA, DA as determined by the Board of Management in accordance with the rules of the State Government. He shall be eligible for free medical facility as granted to officer/ employees from time to time and for external medical treatment on being referred by University Doctor and for reimbursement equal to actual expenditure incurred by him as stipulated for the State Government Officers.

(v) The Vice-Chancellor shall be eligible to avail leave as applicable for other employees of the University.

(vi) In case the Vice-Chancellor avails leave for a period of less than three months for any reason, he shall appoint suitable senior most member of faculty or any dean on the post of Vice-Chancellor for the period of his absence.

(vii) In case the Vice-Chancellor avails leave for a period of more than three months or does not join duty for any reason after the expiry of leave or in case of any vacancy on the post which cannot be filled on an immediate basis, the Chancellor shall, for a period of six months or till the Vice-Chancellor takes charge, appoint the senior most faculty/ college dean/ director on the post of Vice-Chancellor. Period of such appointment can be extended by the

Chancellor but such an appointment cannot be made for a total period of more than one year.

(B) (b) Duties and powers of Vice-Chancellor

(i) The Vice-Chancellor shall be the Chief Executive and Academic Officer of the University and shall be responsible for all the academic and commercial activities, and for discipline and skill development;

(ii) The Vice-Chancellor shall convene the meetings of the Board of Management and the Academic Council in the capacity of Chairman.

(iii) In absence of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside over the Convocation Ceremony of the University.

(iv) The Vice-Chancellor shall present the Annual Report of the University before the Board of Management and ensure the presentation of the annual budget and statement of accounts through the Finance Comptroller before the Board of Management.

(v) In any emergency, which in opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, in anticipation of approval of such action by the authorities, which in the ordinary course, would have dealt with the matter.

(vi) The Vice-Chancellor shall give effect to the directives of the Board of Management for appointments, suspension & termination in respect of officers for which the Board of Management is the appointing authority.

(vii) The Vice-Chancellor shall prepare a panel of subject experts for the Selection Committees for direct recruitment for the posts of scientists of the level of Asstt. Professor, Assoc. Professor and Professor and submit the same for approval to the Chancellor. The approved panel shall remain valid for a period of three years.

(viii) For appointment to all posts below the rank of Assistant Professor, the Vice-Chancellor shall constitute a Selection Committee. The Selection Committee shall submit its recommendations for approval before the Vice-Chancellor. After approval of Vice-Chancellor, appointments may be made. The details of such appointments shall be presented in the next meeting of the Board of Management for ratification.

(ix) The Vice-Chancellor shall exercise other such powers as have been provisioned.

(x) In case of vacancy on the post of Registrar, the Vice-Chancellor may give charge of the Registrar to a senior officer till a regular appointment is made.

(xi) The Vice-Chancellor may appoint honorary/ visiting professors, associate professors and assistant professors.

(xii) The Vice-Chancellor may appoint teachers against the sanctioned post of professors, associate professors and assistant professors on the recommendations of Faculty/ College Dean for a fixed period.

(xiii) The Vice-Chancellor may appoint consultants on contract basis following the prescribed procedure.

(C) **(a) Director Academic:**

(i) The Director Academic shall be a whole time officer of the University. Director Academic shall be appointed in the manner prescribed for appointment of Dean. The tenure of the appointment shall be three years.

(ii) The Director Academic shall be the Member of the Academic Council.

(iii) The Director Academic shall be the head of Academic Directorate and shall control the functioning of the Academic Directorate.

(iv) The Director Academic shall draw the academic programmes of the University, get them approved from the Academic Council and ensure their implementation.

(v) The structure and activities of the Academic Council shall be in accordance with the provisions concerned under the Act.

(vi) The Director Academic shall prepare a report of the academic programmes of the University.

(vii) The Director Academic shall be directly answerable to the Vice-Chancellor with respect of all academic matters of the University.

(viii) In case of a vacancy on the post, the Vice-Chancellor may give additional charge of the responsibilities of Director Academic to a senior professor or associate professor of the University.

(C) (b) Director Research:

(i) The Director Research shall be a whole time officer of the University. Director Research shall be appointed in the manner prescribed for appointment of Dean. The tenure of the appointment shall be three years.

(ii) The Director Research shall be the Member Secretary of the Research Council.

(iii) The Director Research shall be the head of Research Directorate and shall control the functioning of the Research Directorate.

(iv) The Director Research shall draw the research programmes of the University, get them approved from the Research Council and ensure their implementation.

(v) The structure and activities of the Research Council shall be in accordance with the provisions concerned under the Act.

(vi) The Director Research shall prepare a report of the research programmes of the University.

(vii) The Director Research shall ensure presentations in respect of Research programmes of the University and their achievements at various levels in the country and abroad (Seminars & Symposia etc).

(viii) The Director Research shall be directly answerable to the Vice-Chancellor with respect of all research matters of the University.

(ix) In case of a vacancy on the post, the Vice-Chancellor may give additional charge of the responsibilities of Director Research to a senior professor or associate professor of the University.

(C) (c) Director Extension:

(i) The Director Extension shall be a whole time officer of the University. Director Extension shall be appointed in the manner prescribed for appointment of Dean. The tenure of the appointment shall be three years.

(ii) The Director Extension shall be the Member Secretary of the Extension Council.

(iii) The Director Extension shall be the head of Extension Directorate and shall control the functioning of the Extension Directorate.

(iv) The Director Extension shall draw the extension programmes of the University, get them approved from the Extension Council and ensure their implementation.

(v) The structure and activities of the Extension Council shall be in accordance with the provisions concerned under the Act.

(vi) The Director Extension shall prepare a report of the extension programmes of the University.

(vii) The Director Extension shall ensure presentations in respect of Extension programmes of the University and their achievements at various levels in the country and abroad (Seminars, Symposia, Kisan melas & Field Demonstrations etc).

(viii) The Director Extension shall be directly answerable to the Vice-Chancellor with respect of all extension matters of the University.

(ix) In case of a vacancy on the post, the Vice-Chancellor may give additional charge of the responsibilities of Director Extension to a senior professor or associate professor of the University.

(D) **Faculty Dean/ College Dean:**

(i) Faculty Dean/ College Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendations of the Selection Committee constituted for this purpose. His/ her tenure shall be three years.

(ii) Faculty Dean/ College Dean shall be the head of his/ her faculty/ college and shall be directly accountable to the Vice-Chancellor. But in case the post of faculty/ college dean is vacant or if he/ she is incapable of discharging his/her responsibilities for any reason, the duties of this post shall be carried out by such a scientist/ professor/ teacher who is appointed by the Vice-Chancellor for this purpose.

(iii) Faculty Dean/ College Dean:-

(a) Shall be responsible for teaching and research activities and organization of usual activities of the faculty/ college concerned.

(b) Shall draw teaching programmes and policies of the faculty/ college concerned.

(c) Shall be responsible for maintaining proper teaching/ administrative standards of the faculty/ college concerned.

(d) Shall ensure proper discipline and implementation of related provisions of Statutes, Ordinances and Regulations.

(e) Shall head the faculty/ college council.

(f) Shall supervise the progress of instructions in the college concerned and evaluate progress of the students in respect of the curricula.

(g) Shall supervise progress of research activities and programmes of the faculty/ college concerned.

(h) Shall ensure proper availability of information in respect of teaching activities of the faculty/ college concerned.

(i) Shall prepare the budget of the faculty/ college concerned, and shall sanction leave of teachers, and participation of teacher in various meetings, conferences and seminars.

(j) Shall inform the Vice-Chancellor in respect progress of teaching and other activities of faculty/ college concerned from time to time.

(k) Shall act as Chief Officer for establishing communication with the public and the authorities of the University.

(l) Shall carry out the directives and other responsibilities given by the Vice-Chancellor from time to time.

(m) In case of a vacancy on the post of Dean of a faculty/ college, any senior professor, associate professor may be given additional charge of Dean.

(E) Dean Students Welfare:

(i) The Dean Students Welfare shall be a whole time officer of the University. His post shall be equivalent to that of a professor and he/ she shall be appointed by the Vice-Chancellor after approval by the Board of Management. The process of the appointment to the post of Dean Students Welfare shall be as prescribed under section 8 of the statutes. His/ her tenure shall be three years.

(ii) **Duties and Powers of the Dean Students Welfare:**

(a) Dean Students Welfare shall make arrangements for housing and messing for the students;

(b) Dean Students Welfare shall organise literary and cultural activities in the University;

(c) Dean Students Welfare shall organise sports and other recreational activities in the University;

(d) Dean Students Welfare shall organise counselling programmes for students in the University;

(e) Dean Students Welfare shall organise programmes to assist placement of the students of the University;

(f) Dean Students Welfare shall organise and maintain contact with the alumni of the University;

(g) Dean Students Welfare shall be responsible for maintenance of discipline among students;

(h) Dean Students Welfare shall Member Secretary of the Central Disciplinary Committee of the University;

(i) Dean Students Welfare shall obtain medical advice and assistance for the students;

(j) Dean Students Welfare shall supervise award of scholarships, studentships and distribution of other financial assistance to the students;

(k) Dean Students Welfare shall obtain travel facilities for the students;

(l) Dean Students Welfare shall perform duties for the welfare of the students and other such duties as entrusted to him by the Vice-Chancellor;

(m) In case of a vacancy on the post of Dean Students Welfare, any senior most professor, associate professor may be given additional charge of Dean Students Welfare.

(F) **Registrar:**

(i) The Registrar shall be a whole time salaried officer of the University. The Registrar shall be appointed as per the procedure prescribed under section 8 of the Statutes.

(ii) The Registrar –

(a) Shall be responsible for admission of students to the University, for the conduct of the examinations and declaration of the results of the examinations;

(b) Shall supervise the conduct of entrance examinations for various academic courses of the University;

(c) Shall be responsible for the maintenance of the register of all degrees/ diplomas conferred by the University;

(d) Shall be responsible for the maintenance of records of all registered graduates of the University;

(e) Shall be responsible for preparation of academic calendar of the University in consultation with faculty/ college deans and ensure strict implementation of academic regulations/ orders;

(f) Shall act on the legal matters on behalf of the University;

(g) Shall be Member Secretary of the Board of Management.

(iii) The Registrar shall be the custodian of all the properties of the University.

(iv) The Registrar shall maintain all records related to the committees appointed by the Board of Management and shall issue notices for the meetings of the Board of Management and Committees.

(v) The Registrar shall conduct the official correspondence of the Board of Management.

(vi) In case of a vacancy on the post of Registrar, any senior most professor, associate professor or assistant professor may be given additional charge of Registrar.

(G) **Finance Comptroller:– Duties and Powers**

(i) The Finance Comptroller shall be a whole time salaried officer of the University. The Finance Comptroller shall be appointed by the State Government as prescribed under section 13 of the Act.

(ii) The Finance Comptroller shall perform such duties and functions as assigned to him/ her by the Vice-Chancellor from time to time. He/ she shall be under the direct control of the Vice-Chancellor.

(iii) (a) The Finance Comptroller shall ensure that the budget of the University is prepared and submitted before the Board of Management with the consent of the Vice-Chancellor. He/ she will supervise the general funds of the University and shall be responsible for withdrawing and distributing University funds.

(b) The Finance Comptroller shall ensure that all accounts of the University are properly maintained.

(iv) The Finance Comptroller shall be the Ex-officio Member of the Board of Management. He/ she shall participate in the proceedings of the Board. However, he/ she shall not have right to vote.

(v) He/ she will plan and supervise University funds, property and investments and shall give advice with regard to its financial policy.

(vi) The Finance Comptroller shall ensure that no expenditure not authorized in the budget is incurred by the University other than by way of investment.

(vii) He/ she will not permit any such expenditure which in violation of the rules prescribed in the Act/ Statutes/ Ordinances.

(viii) He/ she shall ensure that there is no financial irregularity, and he/ she shall work to rectify irregularities if found during audit. He/ she shall ensure good management and protection of University properties as well as allocation.

(ix) He/ she shall get the accounts of the University audited regularly.

(x) The Finance Comptroller shall have the other powers and duties as prescribed.

4. (ii)

(a) University Librarian:

The University Librarian shall head the Library Division of the University. He shall be a whole time officer of the University and of the level of professor. The University Librarian shall be responsible for the compilation of all requisitions and for purchase/ subscription of books and journals made by faculty/ college deans as per the procedure prescribed. The Vice-Chancellor shall constitute a committee for functioning and improvement of the University Libraries which will be chaired by the Vice-Chancellor himself while the University Librarian shall be the Member Secretary of such a committee. The committee shall comprise of Faculty/College Deans and Head of Departments. The University Librarian shall be responsible for management and maintenance of Library Information System. He/She shall be responsible for giving directives to all constituent library units and for proper coordination of their activities.

(b) Estate Officer/Deputy Director Works and Plants

The Estate Officer shall be a whole time officer of the University and his post shall be equivalent to that of Executive Engineer of the Estates Department of the State Government. He shall be the head of the estate division of the University. He/she shall be appointed in the manner prescribed for non-teaching officers. A senior civil engineer shall be preferred on the post. As an interim arrangement, an eligible officer from the State Government may be appointed on deputation basis on the post by the Vice Chancellor. The Estate Officer shall be responsible for maintenance and upkeep of all movable and immovable properties of University (land, buildings, vehicles and machinery). He shall ensure availability and maintenance of utility services like power supply, water supply, irrigation arrangements etc. in the University campuses and centres.

5. Head of Departments

(i) The Head of each Department shall ordinarily hold the rank of professor and shall be responsible for teaching, research and other academic activities in his/her Department; But where an officer of the level of professor is not available, a senior faculty member may be given the charge of Head of the Department as an interim arrangement till a regular appointment is made on the post.

(ii) The Head of the Department shall be appointed for a period of 3 years by the Vice Chancellor on the recommendations of the selection committee appointed for this purpose. The Head of the Department may be given extension for up to

two further terms by the Vice Chancellor. However, recommendations of the selection committee shall be required for each such extension.

(iii) The Head of the Department shall be directly responsible to the faculty/college dean and shall exercise such responsibilities as entrusted to him/her by the faculty/college dean.

6. Chief Hostel Superintendant, Hostel Superintendant, Asst. Hostel Superintendant

There shall be a Hostel Superintendant for each hostel of the University, who shall make arrangements for housing, messing and welfare of the students. The Hostel Superintendant shall ensure that the prescribed rules and regulations are strictly followed in the Hostels. The Hostel Superintendant shall report to the Chief Hostel Superintendant on the issues and matters related to hostel from time to time. Ordinarily, the faculty/college dean or his nominee faculty member may hold the charge of Chief Hostel Superintendant. A faculty member may be appointed as Asst. Hostel Superintendant to look after the routine affairs of each hostel.

7. Categorisation of Employees: The University shall have the following categories of employees as provided under section 28(d) of the Act:-

(i) **Teaching Employees**: Faculty/College Dean, Director Research, Director Extension, Head of Teaching Department/Centre/Division, Professor, Associate Professor, Asst. Professor, Visiting Professor, Visiting Faculty, Honorary Professor, Eminent Professor, University Librarian and any such officer designated as teacher by the Board of Management.

(ii) **Administrative Employees**: Finance Comptroller, Registrar, Deputy Finance Comptroller, Finance Officer, Estate Officer, Public Relations Officer, Media Officer, Stores & Purchase Officer, Health Officer, Security Officer, Sports Officer, Personal Secretary of the Vice Chancellor and any other officer designated as Administrative Officer by the Board of Management.

(iii) **Other Employees**: Engineer, Computer System Manager, Foreman, Mechanic, Technician, Plumber, Mason, Welder, Electrician, Driver, Sports Instructor/Coach, Pharmacist, Nurse, Armed Security Guard, Personal Assistant, Stenographer, Office Assistant, Lab Assistant, Field Assistant, Store Assistant etc.

(iv) At present, all employees having grade pay of up to Rs. 1800 shall be categorised as Group D Employees which has been declared as a dead cadre by the Government. Any change/amendment implemented by the State Government in future shall be applicable in case of the University also.

8. (a) Appointments:

(i) All appointments in the University shall be made strictly on the basis of the merit in accordance with the guidelines issued by the Academic Council/ University. Appointments on senior faculty posts will also be based on teaching, research, organisational capacity and on the contribution towards commercial/ social development.

(ii) For various teaching posts of the University, the essential and desirable eligibility qualifications shall be recommended by a committee constituted by the Vice-Chancellor for this purpose and shall be applicable after approval by the Academic Council.

(iii) Appointments to the posts of Directors Academic/ Research/ Extension and the University Librarian shall be made in the manner prescribed for the appointment of Faculty/ College Dean.

(iv) For various non-teaching posts of the University, the essential and desirable eligibility qualifications and the pay-scales shall be recommended by a committee constituted by the Vice-Chancellor in accordance with the State Government Rules. The committee shall submit its recommendations before the Vice-Chancellor for approval.

(v) For the post of Registrar, Estate Officer and other Officers mentioned under section 4 (ii) (a) to (c), appointments may be made by the Vice-Chancellor for specified time period on interim basis by following due appointment process or the charge of the above mentioned posts may be additionally given to a teacher/ scientist/ officer of the University. The first Registrar of the University shall be appointed by the State Government.

(vi) Provision for reservation for candidates belonging to SC/ ST/ OBC and other reserved categories shall be made in accordance with the Government Orders and Directives issued from time to time.

(vii) All appointments on the teaching post of various faculties shall be made under the provisions of these Statutes. All vacancies shall be widely advertised/ circulated on the University website/ circulars and in accordance with the advertisement arrangements prescribed by the Government from time to time. The Selection Committee constituted by the Vice-Chancellor shall screen the applications received and/ or hold personal interviews. The Selection Committee shall include experts nominated by the Chancellor.

(viii) The Selection Committee constituted for regular appointments on the post of the level of assistant professor or above shall be chaired by the Vice-Chancellor himself or a senior teacher/ scientist nominated by him. The Selection Committee shall submit its recommendations to the Board of Management for the approval. The appointments may be made following the approval by the Board of Management.

(ix) The Selection Committee may also hold interviews of meritorious teachers/ scientists working with or connected with reputed National/ International Institutions through internet or any other electronic medium.

(x) In case of urgency where the prescribed procedure for filling up of the posts of any category in the University is likely to take considerable time and in the opinion of the Vice-Chancellor, the work of the University would consequently suffer if immediate appointment is not made, he may, in exercise of powers granted under Section 12 (6) of the Act, make interim appointments on the basis of merit through outsourcing. However, for the posts where the appointing authority is Board of Management, in that case prior approval of the Board shall be required.

(xi) A Selection Committee shall be constituted by the Vice-Chancellor for all appointments on the posts of the level below the assistant professor. The Selection Committee shall place its recommendations before the Vice-Chancellor for approval. Appointments may be made on such posts after

approval by the Vice-Chancellor. The details of such appointments shall be placed before the next meeting of the Board of Management for ratification.

(xii) At present the Group 'D' has been declared dead cadre by the State Government. Hence for execution of such works, the University shall engage personnel through outsourcing on minimum requirement basis.

(xiii) The quorum for the Selection Committee shall be five members provided two external experts also participate in the selection process.

(xiv) Appointments of faculty positions shall be made as prescribed in the Act and Statutes.

(xv) In case any faculty member is given additional charge apart from his/ her normal duties, he/ she may be entitled to such facilities as would have been due to other person holding that charge and to other such allowances as deemed suitable.

(xvi) The Vice Chancellor may invite a highly qualified and experienced person from within the country or aboard to assist in teaching/ research programmes of the University as a visiting faculty or a visiting professor/ associate professor/ assistant professor upon intimation to the Board of Management. The visiting faculty for a long term may be appointed for a period of one to two years and for a short term up to a period of one year. The appointed person shall teach regularly, organize special lectures, workshops and seminars. His/ her pay allowances, travel allowances and other terms shall be such as mutually decided by the University and the person so appointed.

(xvii) The Board of Management may establish a Chair sponsored by eminent person and may appoint adequately eligible person on the Chair. Such appointments may be made on terms and conditions mutually agreed upon by the sponsorers and the University.

(xviii) The Vice Chancellor may appoint a reputed scholar with a special contribution in education, as a honorary professor for teaching/ research activities upon intimation to the Board of Management. The period of such an appointment shall be decided by the University. The honorary professor shall be entitled to all facilities needed for discharge of his/ her duties. He/ she shall also be entitled to financial assistance for discharge of his/ her duties but shall not be given any salary.

(xix) The Board of Management may award the title of Eminent Professor to any retiring teacher of the University provided that he/she has contributed significantly in his/her field of specialisation during the period of service. The faculty concerned may make its recommendations in this respect to the Board of Management through the Academic Council and the Vice Chancellor. Such Eminent Professor shall be made available all necessary facilities to further his/her academic activities. Such a title shall be granted for life without any financial or other commitments.

(xx) The Vice-Chancellor may appoint experts from the industry or other sectors as Adjunct Professor or Adjunct Assistant Professor or any other post upon intimation to the Board of Management. Such an appointment may be made for a maximum period of two years on such terms and conditions as mutually agreed upon by the University and the appointed person.

8. (b) Service rules:

(i) The Service Rules in respect of teaching and non-teaching employees of the University shall prepared by separate committees setup by the Vice-Chancellor.

(ii) The Service Rules so prepared by the committees shall become applicable after approval by the Board of Management.

(iii) Appointments under various cadre shall be made only after service rules for such cadres are prepared and approved.

9. (a) Terms and Conditions of Service

(i) All appointments in the University shall be made on probation period of one year. At the end of the probation period of an employee, a report in respect of his/her work performance and conduct shall be submitted by the committee constituted by the Vice-Chancellor to the Vice-Chancellor through proper channel. In case the report is found satisfactory, services of such an employee may be confirmed/ regularised. In case the report is not found satisfactory, the period of probation may be extended for another one year. If the work performance and conduct report is not found satisfactory even at the end of two years of probation, the University may, through a written notice grant a period of six months to the employee to satisfactorily improve his/ her performance and conduct. If the said employee is still unable to improve his performance and conduct at the end of six months, recommendation to dispense with his/her services may be placed before the Board of Management. After approval by the Board, services of the said employee may be terminated after serving him/ her a notice of the period stipulated under his/ her service conditions. If the performance and conduct of an employee are found satisfactory at the end of his/ her probation period and hi/ her services are confirmed/ regularised, the details of such confirmation/ regularisation shall be placed before the next meeting of the Board of Management by the Vice-Chancellor for ratification.

(ii) Under the provisions of the Act and the Statutes, an employee will remain in continuous service till the last date of the month of attaining the age of superannuation;

But in the interest of academic and research work in the University, a retiring teacher may be reappointed on a regular basis as Professor, Associate Professor or Assistant Professor till the end of the Academic session.

(iii) All appointed persons except temporary employees shall enter into a written contract of service in the prescribed format with the University and shall be required to produce a medical certificate of mental and physical fitness from the University Medical Officer/ Competent Authority.

(iv) An employee of the University shall not engage in any other service, trade or other commercial activity except consultancy or any other such activity for which express permission from the competent authority has been duly taken.

(v) Services of temporary teachers, officers or other employees and of employees under probation may be dispensed with by serving a one month notice or by paying one month's salary in lieu of notice without assigning any reason whatsoever.

(vi) All teachers, officers and other employees of the University shall be subject to the Conduct Rules formulated and amended from time to time by the University.

(vii) Teachers, Officers and all other regular employees of the University shall be entitled to TA, DA and other allowances as specified for them. For contract or temporary employees, the Vice-Chancellor shall constitute a committee to make recommendations in respect of the allowances etc. This committee shall submit its recommendations to the Vice-Chancellor for approval. Such a committee shall include a finance comptroller of the University.

(viii) All teachers, officers and other regular or contract/ temporary employees of the University shall be entitled to leave as specified in the Leave Rules of the University.

(ix) Any temporary teacher/ officer/ employee can resign from service of the University by giving one months notice in writing to the competent authority or by relinquishing one month's salary following approval by the competent authority.

(x) Rules for medical facilities for the employees of the University shall be formulated separately.

9. (a) Career Advancement Scheme

(i) Career Advancement Scheme for the teachers of the University shall be made applicable upon approval by the State Government on the recommendations by the Board of Management in accordance with the guidelines issued by UGC/ ICAR.

(ii) Assured Career Promotion (ACP) for non-teaching employees of the University shall be made applicable in accordance with the State Government Rules.

10. Disciplinary action against Teacher/ Officer/ Employee: Action in this respect shall be taken in the following manner in accordance with the procedure specified by the State Government:

(i) If an employee is found guilty of misconduct/ negligence, the appointing authority may order an inquiry to ascertain facts, call for an explanation of the employee, initiate & conduct disciplinary proceeding against him/ her or issue a warning to the said employee.

(ii) In cases where the Vice-Chancellor is the appointing authority, the Vice-Chancellor may order inquiry against the employee concerned, may order suspension on the basis of preliminary evidences and order a detailed inquiry into the matter. Once the allegations are proven, the Vice-Chancellor may take disciplinary action and/ or impose penalty under rules.

(iii) In cases where the Vice-Chancellor is not the appointing authority, the Vice-Chancellor may order inquiry against the employee concerned, may order suspension on the basis of preliminary evidences and order a detailed inquiry into the matter. Once the allegations are proven, the Vice-Chancellor may forward the inquiry report to the Board of Management for further action.

(iv) If the Board of Management is not satisfied with the inquiry report, it may order a fresh inquiry into the matter. Once the allegations are proven, the Board of Management may fix penalty under rules and refer the matter to Vice-

Chancellor for further action. If the allegations are however not proven, the Board of Management may direct reinstatement of the suspended employee.

(v) The termination of the services of the said employee shall become effective from the date of issue of such orders.

(vi) Where the appointing authority of the employee is Vice-Chancellor, the employee can appeal to the Board of Management against such Penalty Orders issued to him/ her by the Vice-Chancellor or his authorised Officer. While where the appointing authority of the employee is Board of Management, the employee can appeal to the Government against such Penalty Orders served on him/ her by the Board.

11. Age of Retirement

(i) The age of retirement in case of teacher/ scientists of the University shall be 65 years and in case of other employees shall be 60 years or in accordance with the orders issued by the State Government from time to time.

(ii) The appointing authority may any time compulsorily retire any employee after attaining the age of 50 years in the interest of the University without assigning any reason by serving a three months notice or by paying three months salary in lieu of notice to such an employee. Any employee of the University may opt for voluntary retirement after attaining the age of 45 years or after completing the qualifying satisfactory service of 20 years in the University by giving a three months notice to the appointment authority. Rules of the State Government in respect of the voluntary retirement in force from time to time shall apply in this respect.

(iii) The employees shall be entitled to retirement benefits as applicable to the State Government employees. But if an employee availing retirement benefits takes charge of a position in the University, the University may ensure protection of such benefits in the interest of the employee in accordance with the State Government rules.

12. Leave Rules

(i) These Leave Rules shall be applicable to all employees of the University except those posted in the University on deputation basis.

(ii) Leave to Faculty/ College Dean and Finance Comptroller shall be sanctioned by the Vice-Chancellor. Faculty/ College Deans, Directors, Central/ Sectional Heads and other controlling officers shall have the powers to grant leave to officials serving under them. The employees shall indicate the dates on which the actual leave is to be availed.

(iii) The leave admissible to the teachers of the University shall also be admissible to other permanent employees of the University.

The following kinds of leave shall be admissible for the employees of the University:-

(a) **Casual leave:** An employee of the University shall be eligible for 14 days casual leave for each calendar year. This leave cannot be carried over to next year.

(b) **Earned leave:** An employee of the University shall be entitled for earned leave on full pay. However, teachers availing summer/ winter holidays

shall earn leave at 1/ 30th of the period on duty. The maximum period of earned leave that may be granted at a time shall be four months if spent in the country and a maximum of six months if spent abroad. Earned leave can be accumulated up to a period of 300 days. Any leave earned beyond this limit shall cease to be accumulated.

(c) **Half average pay leave:** All employees shall be entitle to leave of half pay up to 31 days in a calendar year and up to 365 days during entire period of service. The period of half average pay leave that may be granted at a time shall be 90 days if spent in the country and a maximum of 180 days if spent abroad.

(d) **Extra ordinary leave:** In case of genuine necessity and when no other leave is due to the employee, extra ordinary leave without pay may be granted. Such a leave may be granted for the specified purpose of higher learning or for medical reasons. Such a leave may be granted to an employee twice during the period of entire service. Extra ordinary leave may be availed for the first time after completion of three years service with the University. Extra ordinary leave may be availed for the second time after completion of six years service provided there is a gap of at least three years between the first and second periods of such leave. Extra ordinary leave may be granted for a maximum period of five years during the period of entire service.

(e) **Maternity leave:** The female employees of the University shall be entitle to maternity leave in accordance with the State Government Rules in force from time to time.

(f) **Childcare leave:** The Childcare leave shall be admissible to female employees under special circumstances and during the illness of the Child or during his/ he examinations up to the age of 18 years in case of normal children and up to the age of 21 years in case of specially enabled children. The directives issued by the State Government in this regard from time to time shall be applicable.

(g) **Medical leave:**

I. A permanent employee of the University may be granted leave on medical certificate not exceeding a period of 12 months during his/ her entire period of service. The leave on medical certificate if availed together with earned leave shall not exceed 8 months at a time. Such leave may be availed on production of medical certificate by an approved medical authority before the Vice-Chancellor.

II. A temporary employee of the University may be granted leave on medical certificate not exceeding a period of 4 months during his/ her entire period of service. The leave on medical certificate if availed together with earned leave shall not exceed 8 months at a time. Such leave may be availed on production of medical certificate by an approved medical authority before the Controlling Officer. Such leave shall be granted to the temporary employee on

the condition that the post from which the University employee proceed on leave is likely to last till his return to duty.

(h) **Sabbatical leave:** A regular teacher of the University who has served in the University for not less than a period of 4 years may be granted a sabbatical leave of up to 1 year on full pay for undertaking advance research work. However, he/ she should commit to serving the University for at least two years on his/ her return from leave failing which he/ she refund to the University, leave salary, contributory provident fund along with the interest thereon. Sabbatical leave shall not be granted to a teacher before the expiry of six years from the date of last return from the date of last return from sabbatical leave. A teacher on sabbatical leave may accept a fellowship or research scholarship or any other remuneration from a source or institution where he is undertaking sabbatical leave. Such an earning shall not have any effect on the leave salary admissible to the teacher.

(i) **Duty leave:** A teacher of the University may be granted duty leave on full pay up to 25 days in a calendar year to attend official meetings to organize examinations and to attend to other academic work with an objective to enhance professional capacity in organisations other than the University. The period of duty leave may be extended by the Vice-Chancellor under special circumstances.

(j) **Study leave:** Teachers of the University may be granted study leave to study postgraduate or doctoral programmes in their respective fields of specialisation or other postgraduate studies:

(A) Where a teacher is sponsored or nominated by the Government or a Government Agency under Quality Improvement Programme (QIP) or Faculty Improvement Programme (FIP) or receives fellowship or scholarship from an authority after due permission from the Vice-Chancellor, he/ she may be granted study leave. The Government or a Government Agency shall undertake to pay for salary and allowances of the substitute to be appointed during the period of study leave. The study leave shall be admissible to the incumbent on recommendations of the faculty/ college concerned. The incumbent shall, during the period of study leave may be allowed full salary along with allowances as may be admissible. The incumbent proceeding on study leave may be allowed to accept any scholarship or any other emoluments like travel grant by an outside agency during the period of study leave.

(B) Teachers not covered under above mentioned clause (A) may be allowed study leave on full pay due to them during earned leave or on half pay along with dearness allowance.

(C) Ordinarily, the study leave for post graduate studies shall be admissible for a period of up to two years and for doctoral programmes for a period of up to three years which can be extended by one year in each case by the Vice-Chancellor under exceptional circumstances.

(D) The teacher shall undertake to serve the University for further period of two years for every year of study leave availed failing which, he/ she shall refund to the University a sum equal to the amount paid to him by the University during the study leave and interest thereon at the rate due on contributory provident fund.

(E) During the period of study leave, the incumbent shall be entitled to regular annual increment accrued to him/ her and the University's share to his/ her contributory provident fund.

(F) A teacher shall be entitled to study leave only two times during his/ her entire period of service.

(k) **Deputation** – A teacher/ employee may be granted permission for deputation for a maximum period of five years in accordance with the State Government Rules.

(iv) Leave cannot be claimed as a matter or right and when exigencies of service so demand, leave may be refused or curtailed or the employee on leave may be compulsorily recalled from the leave by the authority.

(v) Leave rules shall be separately prepared for permanent and temporary employees.

(vi) The Government Orders in respect of leave issued from time to time shall be applicable.

13. Provident Fund

(i) All appointments in the University shall be made under the Contributory Provident Fund Scheme. Pension Scheme shall be introduced in case of only those employees who were covered under the Provident Fund Scheme along with the pension scheme in accordance with the State Government Rules at the time of joining the service.

(ii) All new appointments shall be made under the new pension scheme applicable under the provisions of the GO No. 21/ Contributory Pension Scheme/ 2005 dated 25-October-2005 (as amended from time to time). The Government Rules as prevalent from time to time shall be applicable in this regard.

14. Remuneration, Travelling and other allowances

(i) Employees/ Members shall be paid travelling and daily allowance for travel to places outside their place of posting to attend the meeting of the authorities, committees or for official work.

(ii) The Member shall be paid TA/ DA as admissible to him/ her in the parent department by the shortest rail/ road route. If the member is residing outside his usual place of posting for official duty, he/ she shall be paid TA/ DA for such journeys. In exceptional cases, the Vice-Chancellor may allow travel by higher class or by air.

(iii) For a journey performed by a public transport or taxi, the fare paid for one seat in upper class plus one half of the same, may be allowed, in exigencies and under special circumstances for the examiner, member of a selection committee, special guest or any other person at the rate approved by the University or the State Government. The Vice-Chancellor may allow travel by taxi or personal vehicle in the interest of the University.

(iv) If a member travels to attend the University meeting or official duty from his/ her usual place of residence, he/ she shall be granted halting allowance at the rates applicable to an officer of an equivalent rank of the State Government. To attend two or more meetings with a gap in between, he/she shall drop halting allowance for the break. If there is a gap of four days between two meetings, he/she shall be allowed to draw halting allowance for the intervening period provided he/ she stays at the place of meeting/ official duty.

(v) Allowances for non official members –

(a) Those retired Government Officials who on the basis of the emolument drawn before them drawn by them immediately before the retirement, were entitled to avail travel allowance under the rules and if such facilities still admissible to such officers,

(b) Those non official persons who are connected with any Government or private organisation and to whom such a facility is available under the rules of the said organisation,

(c) Non official members while performing journeys on their own private business make use of such facility or who travel in air conditioned railway coach or by air on grounds of illness, advance age or infirmity may also be allowed this facility.

(vi) Ex-officio members of authorities and committees other than the officers of the University shall drop travelling and halting allowance as fixed by the University.

(vii) Travelling allowance for officials of the University -

(a) The regular employees of the University shall be entitled to travelling allowance in accordance with the State Government Rules;

(b) The travelling allowance due to the employees of the University shall be admissible as per the rates fixed by the State Government;

(c) The travelling allowance to the temporary/ contractual employees of the University for official duty shall be granted at the rates admissible to the regular employees of equivalent category.

(viii) The Board of Management of the University may fix the rates of travelling allowance in cases not covered under these statutes.

(ix) The University employees shall be entitled to the daily allowance at the rates fixed from time to time by the University for regular/ temporary employees.

15. Finance Committee

(i) The finance committee shall consist of the following members:

1. Vice-Chancellor - Chairman
2. Principal Secretary/ Secretary, Finance or an officer nominated by him – Member
3. Principal Secretary/ Secretary, Agriculture or an officer nominated by him – Member
4. A Director/ Dean nominated by the Vice-Chancellor from the Board of Management – Member
5. A member to be nominated by the Board of Management
6. Finance Comptroller – Member Secretary
7. Registrar – Member

8. Deputy Finance Comptroller – Special Invitee

(ii) The finance committee shall advise the Board of Management on matter related to properties and funds of the University. Keeping in view, the income and resources of the University, the finance committee shall fix the limit of the total recurring and non-recurring expenditure for the next financial year. However, it can review the expenditure limit so fixed by it under special circumstances and its decision shall be binding on the Board of Management.

(iii) The finance committee shall have such power and duties as have been granted to it under the Act and the Statutes or have been imposed on it.

(iv) The Board of Management shall not consider the matters involving the finance before they are referred to the finance committee. If the Board of Management does not agree with the recommendations of the finance committee. The Board of Management may again refer the matter to the finance committee for reconsideration, clearly mentioning the reasons of disagreement. If the Board of Management is still not in agreement with the fresh recommendation of the finance committee, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final in this regard.

(v) The quorum for the meeting of the finance committee shall be one third of the total membership. The meeting of the finance committee may be postponed for want of quorum. However, no quorum shall be required for the next meeting convened for the same purpose.

16. University Advisory Committee

(i) The Board of Management may constitute an advisory committee of the University on the recommendation of the Academic Council to advise the Board of Management and the Academic Council on matters of academic interest under the chairmanship of the Vice-Chancellor;

(ii) The Advisory Committee shall consist of reputed persons from the fields of higher education, science & technology, environment, wildlife science, management, humanities, social sciences, mass communication, industry and from the related subjects of the University.

(iii) The Advisory Committee shall not have more than 10 members.

(iv) The term of the Advisory Committee shall be fixed by the University at the time of its constitution.

(v) The finance comptroller shall be a member of the Advisory Committee.

(vi) The Registrar of the University shall be the Member Secretary of the Advisory Committee.

17. Faculty Improvement Committee

The Faculty/ College Dean shall be the Chairman of the faculty improvement committee; all heads of departments of the faculty shall be its members. In addition, experts from other fields may also be invited to the faculty improvement committee. The committee shall take up the following responsibilities:-

(i) Improvement of regular/ long term visiting faculty;

(ii) Improvement of the regular faculty;

(iii) Review of performance of teachers for confirmation upon completion of probation period or for promotion;

(iv) Review of performance of regular faculty during past five years.

18. Grievances Redressal Committee

Grievances redressal committees shall be constituted in the colleges and other units/ centres of the University. A competent officer from each college/ unit/ centre shall be the chairman of respective grievances redressal committee. Representation of almost every category of employees shall be ensured in the committee. Any employee can register his complaint/ grievance before the committee. The committee shall be expected to redress/ resolve the problem within the stipulated time. If it is not possible to resolve the issue at the committee level, the committee shall refer the issue to higher level officer/ Registrar. If the issue still remains unresolved at the level of the Registrar, the complainant may place his/ her complaint/ grievance before the Vice-Chancellor. If the problem still remains unresolved, the complainant may approach the Arbitration Tribunal.

19. (a) Sexual Exploitation Prevention Committee

Sexual Exploitation Prevention Committees shall be constituted in the colleges/ units/ centres of the University. A competent female officer/ employee of the college/ unit/ centre shall be the chairperson of the committee. Representation of almost every category of female employees/ students shall be ensured in the committee. Any female employee can register her complaint/ grievance before the committee in this regard. The committee shall be expected to redress/ resolve the problem within the stipulated time. If it is not possible to resolve the issue at the committee level, the committee shall refer the issue to higher level officer/ Registrar. If the issue still remains unresolved at the level of the Registrar, the complainant may place his/ her complaint/ grievance before the Vice-Chancellor. The committee shall during its proceeding keep the dignity/ respect of the complainant as well as confidentiality of the complaint in view.

19. (b) Unnatural Sexual Exploitation Prevention Committee

Unnatural Sexual Exploitation Prevention Committees shall be constituted in the colleges/ units/ centres of the University. A competent officer/ employee of the college/ unit/ centre shall be the chairman of the committee. Representation of almost every category of employees and students shall be ensured in the committee. Any employee/ student can register his complaint/ grievance before the committee in this regard. The committee shall be expected to redress/ resolve the problem within the stipulated time. If it is not possible to resolve the issue at the committee level, the committee shall refer the issue to higher level officer/ Registrar. If the issue still remains unresolved at the level of the Registrar, the complainant may place his/ her complaint/ grievance before the Vice-Chancellor. The committee shall during its proceeding keep the dignity/ respect of the complainant as well as confidentiality of the complaint in view.

20. Public Information Committee

Public Information Committee shall be constituted in the colleges/ units/ centres under the Right to Information Act. This committee shall work in accordance with the directive given under Right to Information Act, 2005. The constitution of the committee shall be in accordance with the provisions of Right to Information Act where the Public Information Officer and Appellate Authority shall be appointed accordingly. The Registrar of the University shall be the Appellate Authority. For

smooth functioning of the public information unit, the University may ask for assistance from the State Government to create essential posts and a separate building.

21. Penalties

(i) In case of any losses of funds or properties of the University or in case of their misappropriation/ misuse, the Chancellor/ State Government can get the accounts of the University audited by the local accounts department of the State Government.

(ii) The Chancellor/ State Government can seek the explanation from the employee concerned responsible for the loss/ misuse on receipt of the audit report in this regard.

After consideration of the explanation given by the employee concerned, the Chancellor/ State Government may take a suitable action in this regard.

22. House of Representatives

(i) There shall be a Central House of Representatives at the University level which shall have a branch in each college/ campus of the University.

(ii) Representation of almost all categories of persons connected with the University shall be ensured in the House of Representatives (like whole time and regular teachers, scientists, officers, employees & regular registered students etc.).

(iii) There will be a representation of at least 30% of the total strength of regular women employees of the University in the house.

(iv) Representatives of each category shall be elected to the House through the prescribed election process.

(v) At the University level, the House of Representatives shall be chaired by the Dean Students Welfare while the Registrar shall be the Deputy Chairman of the House. At the college/ campus level, the House shall be chaired by an officer concerned with students welfare while the Assistant Registrar or an equivalent officer shall be the Deputy Chairman.

(vi) The representatives shall make suggestions in respect of all round development of all categories, make suggestions and discuss ways and means to resolve the present or possible problems.

(vii) The Chairperson or the Deputy Chairperson of the House shall submit the resolutions passed by the House to the authorised officers/ authorities of the University.

(viii) The University administration may, after timely consideration of the resolutions, include the suggestions for improving the functioning of the University and its all round development as far as possible.

(ix) The regulations in respect of constitution and governing of the House shall be prepared separately.

23. Ex-students Unit

(i) An Ex-students Unit shall be established in the University. Former students who have obtained degree/ degrees from the University may become members of the Unit upon payment of the prescribed membership fee.

(ii) Members of the Unit may organise alumni meet in the University once or twice every year with the co-operation of Dean Students Welfare.

(iii) Ex-students, present students and faculty member can together submit suggestions to the University administration for development of the University. The University administration may include these suggestions in the development programmes of the University for implementation as far as possible.

24. Student Counselling System and Student Identification Number

The University may handover a specified number of student at the time of admission to a faculty member and setup a student counselling committee for mutual development and enhancement of the college/ faculty and students. The faculty member concerned shall act as a guide for the students handed over to him/ her and deal with the academic and other philosophical issues of the students. Faculty Member concerned shall remain in touch with the parents of the students to keep them updated about their academic progress and whenever required. The Registrar's Office shall issue a permanent student identification number to every student at the time of admission. The student identification number shall be used in dealing with the issues pertaining to the students concerned.

25. Consultancy and Professional Services

(i) The Vice-Chancellor may permit the faculty members to take up consultancy work and professional services for example development of syllabi/ academic programmes, preparing project reports, to deliver lectures or accept membership of a board or committee.

(ii) The outside agencies may contact the University or the college/ faculty member concerned to make available desired consultancy or professional service. The Faculty/ College Dean concerned shall identify and expert to take up the project concerned.

(iii) A faculty member may be permitted to take up consultancy or professional service for a maximum period of 50 days per academic year which may, however be extended by the Vice-Chancellor under special circumstances.

(iv) Forty percent of the professional fee earned from consultancy shall be directly deposited in the development fund of the University. The remaining 60 percent share of the income shall be distributed to the faculty member concerned and other employees in the prescribed ratio after deducting the expenditure incurred on the said project.

(v) The Academic Council shall fix the process to prepare project estimates, conditions for consultancy services, details of work under consultancy/ professional services and the procedure for distribution of the total savings from a particular project.

26. Affiliation to Colleges/ Institutes

(i) As per the guidelines of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the University is not permitted to grant affiliation to any outside college/ institute.

(ii) The University shall only be able to establish constituent colleges.

27. Institution of Degrees and Diplomas

(i) The Doctoral, PG and UG degrees, honorary degrees, diplomas, certificates and other academic qualifications in the faculties/ colleges of the University shall be institutionalized on the recommendations of the Academic Council and upon approval by the Board of Management and conferred in the convocation ceremony of the University. Rules in this regard shall be laid down through orders/ regulations.

(ii) A committee constituted by the Vice-Chancellor shall propose the conferment of honorary degrees, the proposals in this regard after approval by the Academic Council and the Board of Management be placed before the Chancellor for ratification.

(iii) The University may, under the provisions of the regulations prescribed by the Academic Council in this regard, withdraw any degree/ diploma awarded to any person if adequate grounds exist for the same.

(iv) The University shall lay down the essential qualifications required for grant of every degree/ diploma by the University, in its order/ regulations.

28. Fellowship, Scholarship, Medals and other Prizes

The Board of Management shall on the recommendations of the Academic Council, approve the policy regarding grant of fellowship, scholarship, medals and other prizes.

29. Ordinances

(i) The University may lay down rules under the provisions of the Act and the Statutes for maintenance of discipline among the students, conditions of residence of the students in hostels, provision of liberal education and for inspection of various bodies of the University. The University may also lay down rules in respect of numbers of teachers, essential qualifications, emoluments, incentives and conditions.

(ii) Ordinances can be issued by the Board of Management in respect of issues relating to admissions, nominations, conduct of examinations, determination of fee structure or other matters related to students, the faculties or colleges on the recommendation of the Academic Council. The Board of Management may refer back the recommendations or any portion thereof to the Academic Council for reconsideration without any modification or amendment at its level. Once the Academic Council has reconsidered the recommendations, they may not be returned again by the Board of Management.

(iii) The Board of Management may make amendments in the ordinance on the recommendations of the Academic Council.

30. Regulations

(i) The authorities of the University may make following regulations consistent with the Act, the Statutes and Ordinances –

(a) Laying down the procedure to convene meetings, the quorum for meetings and for maintenance of records in respect of meetings etc.;

(b) In respect of prescribed matters/ processes related to syllabi, organisation of academic functions which are not covered under the Act, the Statutes and the Ordinances;

(c) Such matters relating to the authorities and committees of the University which are not covered under the Act, the Statutes and the Ordinances;
(d) Such other matter which may be deemed fit by the authorities;
(e) Academic regulations may be amended by the Academic Council or on the recommendations of the faculty/ college boards of studies.

(Dr. Ranbir Singh)
Principal Secretary